24

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

चौबीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944(शक)

चौबीसवां प्रतिवेदन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय - सूची

			पृष्ठ सं.
समिति की सरंचना.....			iv
प्राक्कथन			v
अध्याय - एक	**प्रस्तावना**		**1**
अध्याय - दो	**विभाग का वित्तीय कार्य निष्पादन**		
	क.	बजटीय प्रावधान का आबंटन एवं उपयोग	3
	ख.	राजस्व खंड	4
	ग.	पूँजी खंड	4
	घ.	योजनाओं का कार्यनिष्पादन	5
अध्याय - तीन	**खाद्य का प्रबंधन**		
	क.	खाद्यान्नों की खरीद	15
	ख.	श्री अन्न(मिलेट) को बढ़ावा देना	18
	ग.	स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)	25
	घ.	उचित दर दुकान का रूपांतरण	27
	ङ.	वन नेशन- वन राशन कार्ड	28
	च.	फोर्टिफाईड चावल का वितरण	32
अध्याय - चार	**भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)**		
	क.	भारतीय खाद्य निगम के बकाया और देयताएं	35
	ख.	गोदामों का निर्माण	37
	ग.	स्मार्ट जूट थैले	42
	घ.	खली रैक की कमी	44
अध्याय - पांच	**चीनी क्षेत्र का प्रबंधन**		
	क.	चीनी का उत्पादन	46
	ख.	गन्ना बकाया	48
	ग.	इथनॉल मिश्रण कार्यक्रम	51
	अनुबंध		
एक	गेंहू और चावल खरीद का राज्यवार ब्यौरा		57
दो	डीसीपी/गैर- डीसीपी राज्यों में गेंहू की खरीद		59
तीन	डीसीपी/गैर- डीसीपी राज्यों में चावल की खरीद		60

परिशिष्ट

एक.	समिति की 27 फरवरी, 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	61
दो.	समिति की 13 मार्च, 2023 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	65
तीन.	समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां	67

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की संरचना

श्रीमती लॉकेट चटर्जी, सभापति

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
5. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
6. श्री जी.एस. बसवराज
7. सुश्री देबाश्री चौधरी
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
10. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा
11. श्री खगेन मुर्मु
12. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
13. श्री सुब्रत पाठक
14. श्री जी. सेल्वम
15. डॉ. अमर सिंह
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

22. श्री सतीश चंद्र दूबे
23. डॉ. फौजिया खान
24. श्री बाबू राम निषाद
25. श्री राजमणि पटेल
26. श्री सकलदीप राजभर
27. डॉ. अंबुमणि रामादॉस
28. श्री सी. वी. षनमुगम
29. श्री हरभजन सिंह
30. सुश्री दोला सेन
31. डॉ. अशोक बाजपेयी

लोक सभा सचिवालय

1.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव
4.	श्रीमती दर्शना गुलाटी खंडूजा	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच/संवीक्षा की जिन्हें 10.02.2023 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने 27 फरवरी, 2023 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय के संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने तथा अनुदानों की मांगों (2023-24) की जाँच के संबंध में समिति को अपेक्षित जानकारी देने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

4. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023
22 फाल्गुन, 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक
वितरण संबंधी स्थायी समिति।

प्रतिवेदन

अध्याय – एक

प्रस्तावना

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में दो विभाग शामिल हैं , अर्थात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग।खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग केंद्रीय उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करते हैं।

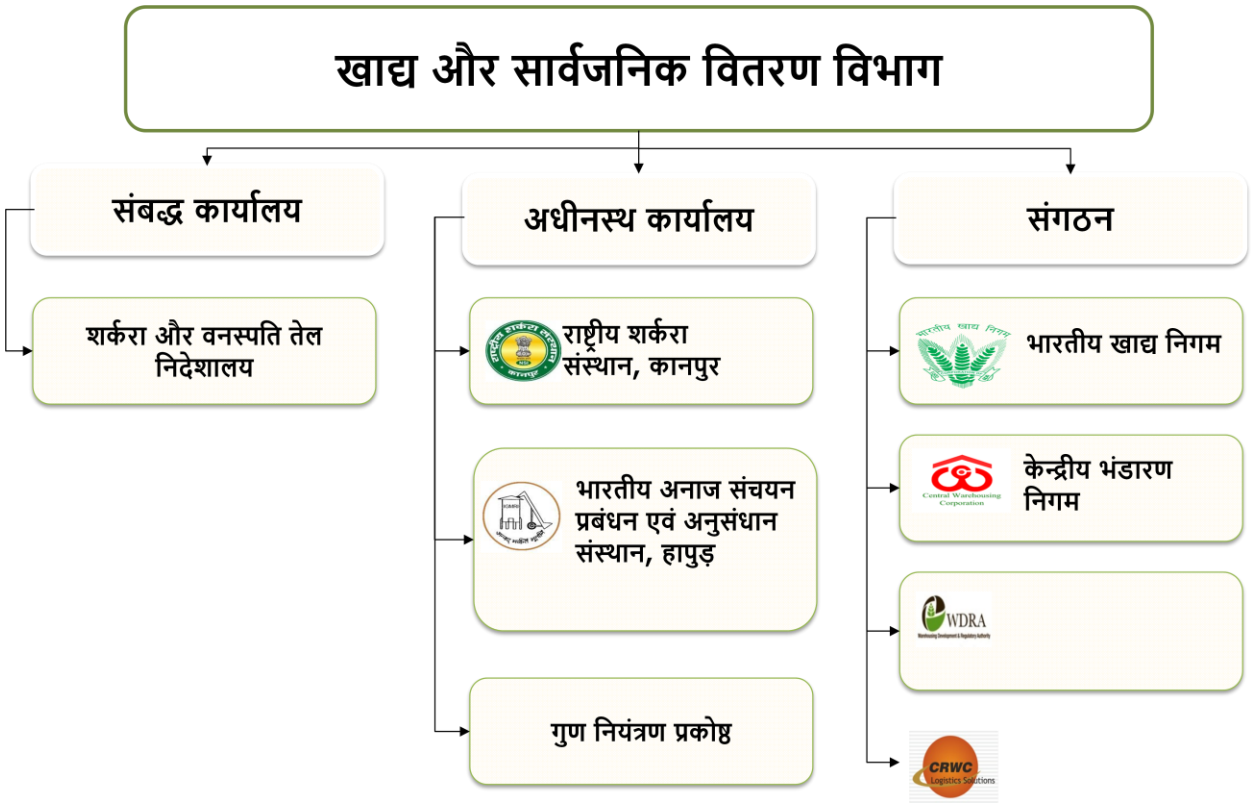

1.2 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 10.02.2023 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की विस्तृत मांगों (2023-24) को लोकसभा के पटल पर रखा।खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों में वर्ष 2023-24 के लिए 230513.94 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान दिखाया गया है। इसमें राजस्व खंड के लिए 205363.57 करोड़ रुपये और पूंजीगत खंड के अंतर्गत 25150.37 करोड़ रुपये शामिल हैं।

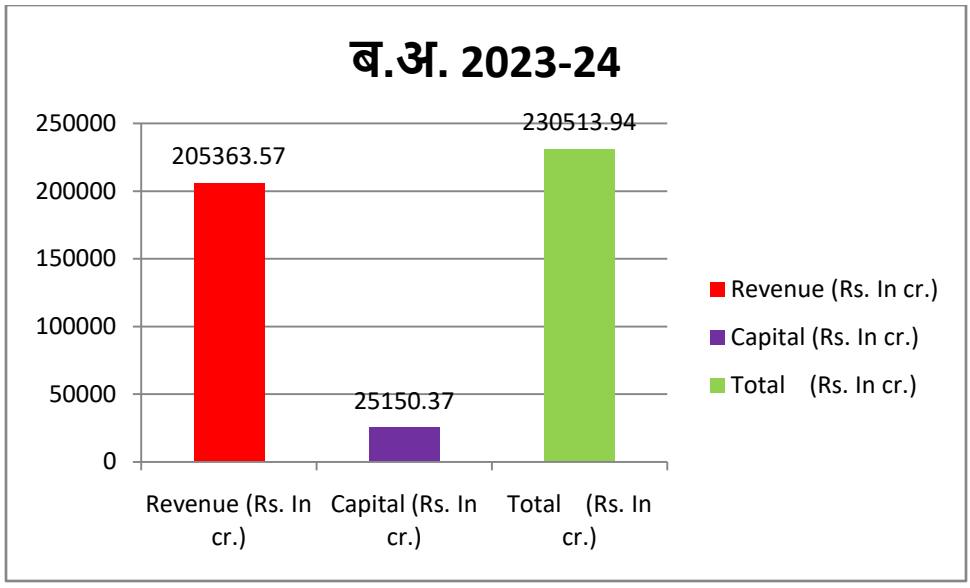

1.3 समिति ने वर्तमान प्रतिवेदन में वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की विस्तृत जांच की है जैसा कि प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में दिखाया गया है।

अध्याय –दो

विभाग का वित्तीय निष्पादन

क. बजटीय प्रावधानों का आवंटन और उपयोग

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने 27.2.2023 को आयोजित समिति की बैठक में 2022-23 के लिए बजट अनुमान , संशोधित अनुमान और वास्तविक और 2023-24 के प्रस्तावित बजट अनुमान पर निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए:

					(करोड़ रु.में)
	ब. अ. 2022-23	**सं. अ. 2022-23**	**वास्तविक व्यय 2022-23 (24.2.2023 के अनुसार)**	**ब. अ. 2023-24**	**2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2023-24 के बजट अनुमान में भिन्नता**
राजस्वा	213929.91	294274.13	223317.61	205363.57	-30.21
पूंजी	12029.67	12029.70	11953.09	25150.37	+109
कुल	225959.58	306303.83	235270.70 (संशोधित अनुमान 76.81% के अनुसार)	230513.94	-24.74

ख. <u>राजस्व खंड</u>

2.2 पिछले पांच वर्षों के लिए कुल राजस्व व्यय के लिए बजट अनुमान , संशोधित अनुमान और वास्तविक निम्नानुसार दिए गए हैं:

(करोड़ रु.में)

योजना का नाम	वर्ष	बजट अनुमान (ब. अ.)	संशोधित अनुमान (सं. अ.)	वास्तविक	टिप्पणियां 24.2.2023 तक वास्तविक
कुल - राजस्व व्यय	2018-19	173735.00	176983.11	106693.67	
	2019-20	190914.27	113989.47	113931.15	
	2020-21	121038.41	437458.00	554244.84	
	2021-22	251248.34	299363.35	301730.93	
	2022-23	213929.91	294274.13		223317.61
	2023-24	205363.57			

2.3 यह देखा जा सकता है कि राजस्व खंड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन को संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 30% कम कर दिया गया है।

ग. <u>पूंजी खंड</u>

2.4 पिछले पांच वर्षों के लिए पूंजीगत खंड के अंतर्गत निधियों का आवंटन और उपयोग निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.में)

योजना का नाम	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	टिप्पणियां 24.2.2023तक

		(ब. अ.)	(सं. अ.)		वास्तविक
कुल - पूंजीगत व्यय	2018-19	50424.10	51354.00	12853.23	
	2019-20	51326.12	37250.92	1243.11	
	2020-21	51197.02	11190.72	11188.35	
	2021-22	52725.96	12636.65	2630.40	
	2022-23	12029.67	12029.70		11953.09
	2023-24	25150.37	13120.67		

2.5 यह देखा जा सकता है कि पूंजीगत खंड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन में संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 109.12% % की वृद्धि की गई है।

घ . <u>योजनाओं का निष्पादन</u>

2.6 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 2022-23 और 2023-24 के बजट अनुमानों के दौरान किए गए राजस्व खंड के अंतर्गत वास्तविक व्यय का योजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राजस्व					**(करोड़ रु.में)**
क्र. सं.	**स्कीम/परियोजना का नाम**	**बजट अनुमान 2022-23**	संशोधित अनुमान 2022-23	24.02.2023 के अनुसार वास्तविक व्यय 2022-23	बजट अनुमान 2023-24
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**9**
1	सचिवालय (**3451)**	81.67	77.47	68.06	79.99
2	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (**2408)**	27.37	24.14	20.19	28.00
3	*खाद्य भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम*				

	(i) शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय (**2408)**	8.70	7.94	4.84	8.63
	(ii) भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान **(2408)**	6.10	6.77	3.50	17.31
	(iii) केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (**2408)**	0.14	0.14	0.06	0.14
	(iv) गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ **(2408)**	8.34	7.23	4.61	9.49
	(v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (**2408)**	0.75	0.79	0.70	0.83
	कुल - खाद्य भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	**24.03**	***22.86***	***13.71***	**36.40**
4	एफसीआई को खाद्य राजसहायता (**2408)**	145919.90	214696.00	161519.90	125207.00
5	डीसीपी राज्यों को खाद्य राजसहायता (**2408)**	60561.19	72282.50	56585.07	54793.00
6	पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी राजसहायता (**2408**)	350.00	215.55	181.17	350.00
7	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य के भीतर आवागमन, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए एनएफएसए (अनुदान) के तहत केंद्रीय सहायता **(2408)**	6572.00	0	0	0.00
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य के भीतर आवागमन, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए एनएफएसए (अनुदान) के तहत सहायता **(3601)/3602/2408**	0.00	6572.03	4773.58	7424.60
8	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और इसका वितरण **(2408/3601) (केंद्र प्रायोजित योजना**)	10.13	9.40	9.08	0.00
9	चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग , उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागतों और अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन और माल भाड़े की लागत सहित विपणन लागतों पर खर्च के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम **(नई स्कीम)**	0.00	20.50	13.58	0.00
10	एथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विस्तार हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	300.00	259.83	75.00	400.00
11	2018-19 मौसम हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	0.00	1.50	0.00	0.00
12	2019-20 मौसम हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	0.00	14.50	6.07	0.00

13	आंतरिक परिवहन , मालभाड़े, हैंडलिंग और निर्यात और अन्य प्रभारों पर किए गए व्यय को कम करने संबंधी स्कीम	0.00	0.25	0.00	0.00
16	चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव संबंधी स्कीम	0.00	3.00	2.80	0.00
17	40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव संबंधी स्कीम	0.00	0.42	0.09	0.00
18	चीनी उपक्रमों/एसडीएफ के अन्य व्ययों को वित्तीय सहायता (चीनी विकास निधि का प्रशासन) (**2408)**	16.00	16.00	15.93	10.00
19	भंडारण और गोदाम- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण (**2552/2408**)	3.20	3.20	0.00	3.57
20	सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालन का सुदृढीकरण (**2408/2552/3456**)	2.00	2.50	0.00	5.00
21	एकीकृत प्रबंधन - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएम-पीडीएस)	40.00	30.00	18.21	0.00
22	भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (**2408**)	18.03	18.03	14.66	22.00
23	**परियोजना**				
(क)	पीडीएस - मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.72	0.78	0.51	0.34
(ख)	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करना	3.67	3.67	0.00	3.67
	कुल राजस्व व्यय	**213929.91**	**294274.13**	**223317.61**	**205363.57**

	पूंजी				**(करोड़ रु.में)**
1	सचिवालय (4408**)**	**0**	**0**	**0**	**3.36**
2	भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश	1900.00	1900.00	1900.00	0.00
2	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (**4408)**	3.80	3.10	1.32	1.92
3	*खाद्य भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम*				
	(i) शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय (**4408)**	0.00	0.00	0.00	0.09
	(ii) भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान **(4408)**	7.16	9.99	0.00	12.00
	(iii) केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (**4408)**	2.00	2.00	0.00	9.00

	(iv) **गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (4408)**	17.90	17.90	0.00	24.00
3	भंडारण और गोदाम - पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफसीआई द्वारा गोदामों का निर्माण (**4552/4408**)	20.00	25.01	10.00	60.00
4	भंडारण और गोदाम - एफसीआई द्वारा गोदामों का निर्माण **(4408)**	10.00	10.00	5.00	40.00
5	एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम (**6408)**	10000.00	10000.00	10000.00	25000.00
6	उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण **(6860)**				0.00
	i) चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन हेतु ऋण।	2.10	0.00	0.00	0.00
	ii) गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	4.07	0.00	0.00	0.00
	iii) खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण।	21.57	61.24	36.31	0.00
	iv) अल्कोीहल से एनहाईड्रस अल्कोजहल अथवा एथनॉल के उत्पाएदन के लिए ऋण	41.07	0.46	0.46	0.00
	कुल पूंजीगत व्यय	**12029.67**	**12029.7O**	**11953.09**	**25150.37**

2.7 विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और उनके कार्यान्वयन में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों , यदि कोई हों , के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:-

<u>निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम</u>

गैर-विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों के लिए 2008 में तैयार की गई और बाद में 2009 में डीसीपी राज्यों तक विस्तारित की गई पीईजी स्कीम के अंतर्गत निजी निवेश को आकर्षित करके 22 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण शुरू किया गया है। भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशकों को भंडारण क्षमता के 10 साल और सी डब्ल्यू सी और एस डब्ल्यू सी को 9 साल के उपयोग की गारंटी देता है। 01.02.2023 को गोदामों के लिए स्वीकृत कुल क्षमता 152.26 एलएमटी है। इसमें से 146.15 एलएमटी का कार्य पूरा हो चुका है।

पीईजी योजना बिना किसी बड़ी समस्या के लागू की गई है। निवेशकों/नोडल एजेंसियों द्वारा गोदामों के निर्माण में आने वाली विशिष्ट स्थानों पर समस्याएं जैसे निर्माण अवधि में विलंब , बल प्रयोग की घटनाएं, भूमि अधिग्रहण आदि। संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से संबंधित महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा

निगरानी की जाती है।निजी उद्यमी गारंटी स्कीम की निगरानी प्रत्येक राज्य-दर-राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) में भी की जाती है। एसएलसी में कार्यकारी निदेशक (जोन) , महाप्रबंधक(क्षेत्र), राज्य सरकार (खाद्य विभाग) के नामित, क्षेत्रीय प्रबंधक, सीडब्ल्यूसी और रेलवे के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एफसीआई) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) इस योजना की निगरानी करती है। उच्च स्तरीय समिति में भारतीय खाद्य निगम के भंडारण , यातायात और खरीद के कार्यकारी निदेशक के अलावा सीडब्ल्यूसी , डीएफपीडी, रेलवे और संबंधित राज्य सरकारों के प्रधान सचिव शामिल हैं।

<u>भंडारण अवसंरचना का आधुनिकीकरण (स्टील साइलोज)</u>

18.25 लाख टन क्षमता वाले साइलोज का निर्माण किया गया और वह उपयोग में हैं , जिनमें से सड़क से चलने वाले साइलो की क्षमता 6.00 लाख टन (मध्य प्रदेश 4.50 लाख टन, पंजाब 1.50 लाख टन) है और रेलवे साइडिंग सुविधा की क्षमता 10.625 लाख टन है। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन के अंतर्गत 11 लख टन की क्षमता है।

विशेष वैगन संचलन के साथ रेलवे साइडिंग साइलो के निर्माण के संबंध में कुछ मुद्दे हैं जिससे साइलो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति प्रभावित हुई है। ये मुद्दे मुख्य रूप से रेलवे साइडिंग के साथ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित हैं जिसमें लंबी बातचीत के साथ डीबीएफओओ मॉडल के तहत छूटग्राहियों द्वारा भूमि खरीद में देरी करने वाले छोटे भूमि मालिकों की बड़ी संख्या शामिल है। कुछ स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका और परियोजना को समाप्त करना पड़ा। रियायतग्राहियों को कार्यान्वहयनाधीन परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि , इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत साइलो के निर्माण की योजना बनाई गई है , जिससे भूमि की आवश्यकता, परियोजना लागत आदि में कमी आएगी। इस मॉडल के अंतर्गत 3 चरणों में 249 स्थानों पर 111.125 लाख टन की क्षमता को विकसित किया जाना है। इसमें चरण- । में हाल ही में 34.875 लाख टन की क्षमता को सौंपा गया है।

केन्द्रीय सेक्टर स्कीम "भंडारण और गोदाम":

सरकार गोदामों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रही है जिसमें पूर्वोत्तर)एनई (क्षेत्र के राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत, एफसीआई को भूमि अधिग्रहण और भंडारण गोदामों के निर्माण और रेलवे साइडिंग , विद्युतीकरण, वेटब्रिज की स्थापना आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए इक्विटी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से धन जारी किया जाता है। न राज्यों में भंडारण अंतराल के साथ -साथ कठिन भौगोलिक और जलवायु

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में भी फंड जारी किए जाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना (17-2012)के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में 1,84, 175मीट्रिक टन की कुल क्षमता)एफसीआई द्वारा 1,37, 680मीट्रिक टन और राज्य सरकारों द्वारा 46, 495मीट्रिक टन की क्षमता (सृजित की गई है। इस योजना को आगे 6साल के लिए दिनांक 31.03.2023तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.04.2017से 31.12.2022तक कुल 98,670टन)भारतीय खाद्य निगम द्वारा 69, 780टन और राज्य सरकारों द्वारा 28, 890टन (की क्षमता का निर्माण किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम/विभाग द्वारा निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है:

1. भारतीय खाद्य निगम के मामले में, राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है , जिसमें बहुत समय लगता है। इसके साथ ही , पूर्वोत्तर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की कठोर स्थलाकृतिक स्थितियां और खराब मौसम की स्थिति कार्य प्रगति की गति को धीमा करने में योगदान देती है।

2. इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों को जारी की गई निधि, उपयोगिता प्रमाण-पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करना है।

एफसीआई/विभाग द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए बैठक आयोजित करके अथवा टेलीफोन द्वारा प्रयास किए जाते हैं।

<u>सार्वजनिक वितरण</u>

यह विभाग राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से वर्तमान में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है , जिसका नाम है " -सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन) "आईएम-पीडीएस(, दो साल की अवधि के लिएअप्रैल 2018 से कुल परिव्यय 127.30 करोड़ रु के साथ सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत , की जा चुकी है। कुल परियोजना लागत में वृद्धि के बिना योजना की वैधता दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता का कार्यान्वयन करना है।
"सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएमपीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन" पर योजना के तहत विभाग 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारकों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू कर रहा है , जो किसी भी पात्र राशन कार्ड धारक/ लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर करने में सक्षम बनाता है। यह लाभ , वर्तमान में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (देश भर में) में सक्षम है, जिसमें देश में संपूर्ण एनएफएसए आबादी (लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी) शामिल हैं। योजना के तहत , एनएफएसए लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने मौजूदा राशन कार्डों का उपयोग करके देश में कहीं भी , अपनी पसंद के किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्र के खाद्यान्न लेने का विकल्प दिया गया है।

पीडीएस- मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान परियोजना: परियोजना का उद्देश्य समय-समय पर स्वतंत्र प्रतिष्ठित एजेंसियों (मानीटरिंग संस्थानों , एमआई) के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यपद्धति का मूल्यांकन करना है। एनएफएसए कार्यान्वयन की वर्तमान मानीटरिंग को मजबूत करने और नियमित आधार पर अधिक गहन , तीक्ष्ण और व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए, इस विभाग द्वारा चरण- II (2020-23) के लिए 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अर्ध-वार्षिक आधार पर और शेष 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक आधार पर विचारार्थ विषय के अनुसार नियमित आधार पर संलग्न 13 एमआई समवर्ती मूल्यांकन कर रहे हैं। अध्ययन/मूल्यांकन एक विषयगत अभ्यास है तथा यह विभिन्न विषयों सहित अन्य बातों के साथ-साथ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड/पोर्टबिलिटी आपूर्ति श्रृंखला तथा पीडीएस सुधारों शिकायत निवारण की प्रभावशीलता, सतर्कता समिति तथा सामाजिक लेखा परीक्षण, पहुँच की सुविधा तथा लीकेज/डाईवर्जन पर अपवर्जन त्रुटियों/जागरूकता तथा शिक्षा (आईईसी) को कवर करता है।एमआई द्वारा प्रस्तुत पहले और दूसरे वर्ष की रिपोर्ट को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट के लिए साझा किया गया है।

2.8 समिति ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की योजनाओं के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रों की स्थिति और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की जांच की। मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा है:

परियोजना के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभाथयों में जागरूकता पैदा करना :

योजना का नाम	वर्ष	राज्य	राशि के लिए लंबित यूसी (राशि रुपए में)
परियोजना के टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करना	2007-08	असम	*77788/-
	2020-21	मध्य प्रदेश	1,00,000/-
	2020-21	कर्नाटक	7,98,920/-
	2015-16	उत्त,र प्रदेश	12,00,000/-
कुल			21,76,708/-
ग्राम अनाज बैंक योजना (योजना 1.1.2014 से बंद कर दी गई है)	2006-07	असम	16,97,784/-

* इस मामले को कड़ाई से देखने के बाद, राज्य सरकार ने दिनांक 06.08.2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि ब्याज के साथ 77,788/- रुपये की अप्रयुक्त राशि भारत सरकार को वापस कर दी गई है। हालांकि, वेतन और लेखा कार्यालय से इसकी पुष्टि की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार , 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार के हिस्से का 40% पहली किस्त के रूप में जारी किया जाता है। शेष राशि , जिसमें केंद्रीय हिस्से का 40% की राशि शामिल है , राज्य के हिस्से के 20% के लिए यूसी के साथ पहली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त होने पर दूसरी किस्त के रूप में जारी किया जाता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ दिनांक 11.06.2019, 23.04.2019, 19.02.07.2020, 28.02.2022 और 04.01.2023 को लिखित पत्राचार के माध्यम से या खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्वीकृत राशि को वापस करने के लिए नियमित रूप से मामले को उठा रहा है।

एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतराज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता

एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतराज्यीय संचलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और उचित दर दुकानों के मार्जिन स्कीम के अंतर्गत व्यय आवर्ती प्रकृति का है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति के साथ-साथ अग्रिम आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। निधियां जारी करते समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष के पूरा होने के एक वर्ष के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। बाद की निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती हैं। चूंकि निधियां आवर्ती आधार पर जारी की जाती हैं, इसलिए उपयोग प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने की गुंजाइश नगण्य है।

भंडारण और गोदाम

केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण और गोदाम" के तहत दिनांक 31.01.2023 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों का राज्य-वार विवरण"

(करोड़ रु.में)

क्र.सं.	राज्यं/संघ राज्यि का नाम	अप्रयुक्तर शेष राशि	भंडारण गोदामों का निर्माण		
			लंबित यूसी की राशि	रिलीज़ का वर्ष	लंबित यूसी की संख्या
एफसीआई द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं					
(1)	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	10.82	-	-	-
(2)	पूर्वोत्तहर क्षेत्र से इतर	10.98	05.98	2020-21	1
कुल (एफसीआई)		21.80	05.98	-	1
राज्य सरकारों द्वारा अनुदान सहायता के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं					
(1)	असम	0.66	0.66	2017-18	1
(2)	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
(3)	नागालैंड	-	-	-	-
(4)	सिक्किम	09.58	09.58	2019-20	1
(5)	त्रिपुरा	01.22	-	-	-
(6)	मिजोरम	-	-	-	-
कुल (राज्य सरकार)		11.46	10.24	-	2
कुल योग (एफसीआई + राज्य सरकार)		33.26	16.22	-	3

इन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और समय पर यूसी प्रस्तुत करने के लिए भारतीय खाद्य निगम/खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।

गोदामों का निर्माण/वैन/ट्रकों की खरीद (स्कीम) और पीडीएस-प्रशिक्षण

गोदामों का निर्माण/वैन/ट्रकों की खरीद (स्कीम) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली-प्रशिक्षणपूर्ववर्ती स्कीमों/परियोजनाओं नामत: गोदामों का निर्माण/वैनों/ट्रकों की खरीद (स्कीम) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली-प्रशिक्षण (परियोजना) के संबंध में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र। दोनों पूर्ववर्ती स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत 03 राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के 04 मामले लंबित हैं। यह विभाग यूसी को उचित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है और इन 03 राज्यों में से 01 राज्य ने संशोधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।
अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 64.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिनमें से 54.28 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां पांच किस्तों अर्थात् प्रथम वर्ष में 60%, 40% और दूसरे वर्ष में क्रमश: 60%, 20% और 20% रूप में जारी की गई हैं। स्कीम के प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार, कतिपय विशिष्ट शर्तों को पूरा करने की शर्त पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किस्तें जारी की जाती हैं।
विभाग, जीएफआर के अनुसार लंबित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जोर-शोर से प्रयास कर रहा है।

2.9 समिति नोट करती है कि पूंजीगत खंड के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 12029.67 करोड़ रुपये का है जो संशोधित अनुमान स्तर पर समान रहा , लेकिन 24.02.2023 तक 11953.09 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ है जो कि संशोधित अनुमान का 99.36% है। समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय में फरवरी , 2023 तक लगभग पूरे आवंटन का उपयोग कर लिया है। इसके अलावा , मंत्रालय वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अंतिम तिमाही में व्यय को 33% की निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफल रहा है। मंत्रालय की वित्तीय दूरदर्शिता की सराहना करते हुए, समिति आशा करती है कि मंत्रालय भविष्य में भी राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखेगा।

2.10 समिति नोट करती है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) बड़ी संख्या में लंबित हैं। उदाहरण के लिए, भंडारण और गोदामों के लिए चलाई जा रही केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और एफसीआई से क्रमशः 10.24 करोड़ रुपये और 5.98 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया हैं।

समिति नोट करती है कि विभिन्न राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होना एक आवर्ती समस्या बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों को आवंटित शेष धनराशि जारी नहीं की जा रही है। इसके कारण परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने में देरी हो सकती है। इसलिए समिति उन परियोजनाओं/योजनाओं के बारे में जानना चाहती है जिनमें विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न कराए जाने के कारण मंत्रालय द्वारा आगे की फंडिंग रोके जाने के कारण पूरी नहीं की जा सकीं। समिति आगे नोट करती है कि मंत्रालय /एफसीआई संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहा है , इसलिए समिति का सुझाव है कि इस मामले को राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ उठाया जाए और उन के मध्यम से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

अध्याय- तीन

खाद्यान्नत का प्रबंधन

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्नों की खरीद ,संचलन ,वैज्ञानिक भंडारण , वितरण और बिक्री से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। ऐसी नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो ,जो किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करके और उपभोक्ताओं ,विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर किया जाता है। सरकार की खाद्य प्रबंधन नीति के मुख्य तत्व खाद्यान्नों की खरीद ,भंडारण और संचलन हैं ;सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण ;और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए बफर स्टॉक का रखरखाव है।

क. खाद्यान्नों की खरीद

3.2 खरीद नीति पूरे देश में एक समान है। भारतीय खाद्य निगम अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों अर्थात गेहूं और धान/चावल की खरीद करता है। मूल्य समर्थन के अंतर्गत खरीद किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की जाती है जो बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। किसानों द्वारा लाए गए मौसम के लिए विशेष फसल के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप स्टॉक भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खरीदे जाते हैं। यदि किसानों को अन्य खरीदारों जैसे व्यापारियों/मिल मालिकों आदि से समर्थन मूल्य से बेहतर मूल्य मिलता है ,तो किसान उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

खाद्यान्नों की खरीद की सरकारी नीति के व्यापक उद्देश्य किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कमजोर वर्गों को वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह प्रभावी बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाता है जिससे कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सके। खाद्यान्नों की खरीद उत्पादन ,बाजार अधिशेष ,कटाई अवधि के दौरान जलवायु परिस्थितियों ,प्रचलित बाजार दरों , मूल्य प्रवृत्तियों मांग आपूर्ति की स्थिति और निजी व्यापारियों की भागीदारी आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

3.3 **पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की कुल खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है**

<u>गेहूं की खरीद</u>

आरएमएस सीजन	एलएमटी में गेहू की खरीद
2018-19	357.95
2019-20	341.32
2020-21	389.92
2021-22	433.44
2022-23	187.92

चावल की खरीद

आरएमएस सीजन	चावल की खरीद
2018-19	443.99
2019-20	518.26
2020-21	602.45
2021-22	575.88
2022-23	434.83

पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की खरीद का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-एक में दिया गया है।

3.4 वर्ष 2023-24 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद के संबंध में स्थिति/लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर और क्या विभाग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आशान्वित है , मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत बताया:

"वर्ष 24-2023के लिए गेहूं)रबी विपणन मौसम (24-2023तथा चावल)खरीफ विपणन मौसम -2022) (23रबी फसल (की खरीद के संबंध में अनुमान/लक्ष्य को दिनांक 01मार्च, 2023 को होने वाली राज्य के खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान तय की जाएगी। इसी प्रकार, खरीफ विपणन मौसम 24-2023चावल की खरीद के लिए अनुमान को अगस्त /सितम्बर, 2023 माह के दौरान होने वाली राज्य के खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान तय किया जाएगा। भू -राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बाजार मूल्य में वृद्धि तथा मांग आपूर्ति में असंतुलन होने की वजह से रबी विपणन मौसम 23-2022गेहूं की खरीद में में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 16.02.2023की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 23-2022के दौरान चावल के रूप में धान की खरीद 514लाख टन की तुलना में 465.97लाख टन 90.66)प्रतिशत (है। जबकि यह 501.64लाख टन की कुल खरीद की तुलना में 454.66लाख टन 90.63)प्रतिशत (था।"

3.5 यह पूछे जाने पर कि लक्ष्य से कम खाद्यान्नों की खरीद क्यों हुई है और इसके क्या कारण हैं , मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"आरएमएस 2022-23 के दौरान, भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बाजार मूल्य में वृद्धि और मांग-आपूर्ति में असंतुलन के कारण गेहूं की खरीद में कमी आई है। देशभर के गेहूं किसानों का उच्च बाजार दरों से लाभ मिला है क्योंकि अधिकांश किसानों ने एमएसपी की तुलना में अपनी उपज को निजी व्यापारियों को उच्च बाजार दर पर बेचा था। तदनुसार, किसान अपनी उपज के लिए उच्च पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं जो किसान कल्याण के प्रति भारत सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है।''

3.6 पिछले 5 वर्षों के लिए डीसीपी और गैर-डीसीपी राज्यों द्वारा गेहूं और चावल की राज्यवार खरीद का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध -दो और तीन में दिया गया है। इसके अलावा , पिछले 5 वर्षों के लिए डीसीपी और गैर-डीसीपी राज्यों द्वारा गेहूं और चावल की खरीद निम्नानुसार है:

<u>डीसीपी/नॉन-डीसीपी राज्यों में गेहूं की खरीद</u>

(एलएमटी में आंकड़े)

आरएमएस सीजन	**डीसीपी राज्य**		**नॉन-डीसीपी राज्य**		**कुल योग**
	खरीद	**कुल का प्रतिशत**	**खरीद**	**कुल का प्रतिशत**	
2018-19	201.70	56.35%	156.25	43.65%	357.95
2019-20	196.87	57.68%	144.45	42.32%	341.32
2020-21	257.76	66.11%	132.16	33.89%	389.92
2021-22	268.10	61.85%	165.34	38.15%	433.44
2022-23	142.57	75.87%	45.35	24.13%	187.92

डीसीपी/नॉन-डीसीपी राज्यों में चावल की खरीद

(एलएमटी में आंकड़े)

केएमएस सीजन	डीसीपी राज्य		नॉन-डीसीपी राज्य		कुल योग
	खरीद	कुल का प्रतिशत	खरीद	कुल का प्रतिशत	
2018-19	256.06	57.67%	187.93	42.33%	443.99
2019-20	323.53	62.43%	194.73	37.57%	518.26
2020-21	377.74	62.70%	224.71	37.30%	602.45
2021-22	359.84	62.49%	216.04	37.51%	575.88
2022-23	230.83	53.09%	204.00	46.91%	434.83

ख. श्री अन्न (मिलेट्स) का प्रचार

3.7 भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 'मिलेट्स के लिए वैश्विक केंद्र' के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को एक 'जन आंदोलन' बनाने के लिए भी अपना दृष्टिकोण साझा किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खपत के प्रमाणों के अनुसार भारत में 'मिलेट्स' की खपत पहली फसलों में से एक है।

3.8 मिलेट्स खरीद के संबंध में , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ , फसलों का ब्यौरा , जब इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है और खरीद के लिए लक्ष्य, यदि कोई हों, आदि शामिल हैं, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है

> " ....दिनांक 28.03.2022/07.12.2021के खरीद, आवंटन, वितरण तथा मोटे अनाजों/मिलेट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ,किसानों से केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन पर भारतीय खाद्य निगम के साथ में राज्य सरकारों द्वारा एक विस्तृत खरीद योजना तैयार की गई है। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र में टीपीडीएस)लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली /(ओडब्ल्यूएस)अन्य कल्याणकारी योजनाएं (के अंतर्गत खरीद की गई मात्रा का वितरण किया जाएगा तथा गेहूं और चावल का संयुक्त आवंटन समतुल्य स्तर पर स्वत :ही कम हो जाएगा।

मोटे अनाजों /मिलेट की खरीद तथा उपभोग को बढ़ाने हेतु विभाग ने राज्य एजेंसियों/एफसीआई द्वारा खरीदे गए मोटे अनाजों के आवंटन वितरण तथा निष्पादन के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किा है तथा वितरण अवधि को पूर्व के 3माह की अवधि से बढ़ाकर 10-6माह की वितरण अवधि तक कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिशेष मिलेट का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन का प्रावधान भी शामिल है। इन दिशा -निर्देशों में गेहूं/चावल के खरीद तथा वितरण के मामले में अग्रिम सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। ”

3.9 खरीफ विपणन मौसम 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए मोटे अनाज/बाजरा की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य का विवरण नीचे दिया गया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज/बाजरा की खरीद का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**केएमएस**	**फसल**	**लक्ष्य (टन में)**
1	2018-19	ज्वा र	5,63,666
		बाजरा	2,15,666
		मक्का	7,20,666
		रागी	-
		कुल	**15,00,000(पूर्णांकित)**
2	2019-20	ज्वा र	30,000
		बाजरा	1,90,000
		मक्का	1,70,000
		रागी	10,000
		कुल	**4,00,000**
3	2020-21	ज्वा र	1,35,000
		बाजरा	2,40,000
		मक्का	2,00,000
		रागी	4,00,000
		कुल	**9,75,000**
4	2021-22	ज्वा र	8,65,000
		बाजरा	2,45,000
		मक्का	3,15,000

		रागी	8,25,000
		कुल	**22,50,000**

मोटे अनाजों की खरीद दर्शाने वाला विवरण (08.02.2023 की स्थिति के अनुसार)

(आंकड़े लाख टन में(

केएमएस	माल	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटका	मध्या प्रदेश	महाराष्ट्ष	उत्तरर प्रदेश	ओड़िशा	उत्तशराखंड	कुल
2018-19	बाजरा	891	100000	0	0	0	0	-	-	100891
	मक्का1	0	0	0	0	6987	5116	-	-	12103
	रागी	0	0	94390	0	0	0	-	-	94390
	कुल	891	100000	95520	0	17950	5116	-	-	219477
2019-20	ज्वार (खरीफ)	0	0	838	5469	1468	0	-	-	7775
	ज्वार (रबी)	0	0	8418	0	7145	0	-	-	15563
	बाजरा	0	100000	0	76	0	0	-	-	100076
	मक्का (खरीफ)	0	0	0	0	19	25	-	-	44
	मक्का (रबी)	0	0	0	0	115094	0	-	-	115094
	रागी	0	0	193243	0	0	0	-	-	193243
	कुल	0	100000	202499	5545	123726	25	-	-	431795
2020-21	ज्वार (खरीफ)	0	0	80722	29582	17784	0	-	-	128088
	ज्वार (रबी)	0	0	0	0	18384	0	-	-	18384
	बाजरा	11515	150000	0	195351	5005	0	-	-	361871
	मक्का (खरीफ)	4133	0	0	0	88283	106413	-	-	198829
	मक्का (रबी)	0	0	0	0	6486	0	-	-	6486
	रागी	0	0	474098	0	0	0	20252	-	494350
	कुल	15648	150000	554820	224933	135942	106413	20252	-	1208008
2021-22	ज्वार (खरीफ)	0	0	103920	32393	20262	0	-	-	156575
	ज्वार (रबी)	0	0	0	0	0	0	-	-	0
	बाजरा	7284	0	0	5400	567	0	-	-	13251
	मक्का (खरीफ)	389	0	0	0	19615	2763	-	-	22767
	मक्का (रबी)	0	0	0	0	0	0	-	-	0
	रागी	0	0	404784	0	253	0	32302	-	437339
	कुल	7673	0	50870	37793	40697	2763	32302	-	62993

				3						1
2022-23	ज्वार	0	0	0	258	1355	0	0	0	1613
	बाजरा	766	81147	0	0	10	43437	0	0	125360
	मक्का	0	0	0	0	48	0	0	0	48
	रागी	0	0	0	0	282	0	0	1186	1468
	कुल	766	81147	0	258	1695	43437	0	1186	128489

3.10 मंत्रालय ने दिनांक 27.02.2023 को समिति के समक्ष प्रस्तुत अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 और 2022-23 के दौरान खरीद की स्थिति प्रस्तुत की है:

क्र.सं.	राज्य	वस्तु	खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में खरीद (एमटी में)	22.2.2023 तक खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में खरीद उपलब्धि	खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में अपेक्षित खरीद (एमटी में)
1	हरियाणा	बाजरा मक्का	-	81,147 -	81,147 -
2	कर्नाटक	ज्वार रागी	1,03,920 4,04,784	28 1,04,739	1,00,000 5,00,000
3	महाराष्ट्र	ज्वार बाजरा मक्का रागी	20,262 567 19,615 253	1357 10 48 283	1357 10 48 283
4	मध्य प्रदेश	ज्वार बाजरा	32,393 5,400	258 -	258 -
5	उत्तर प्रदेश	मक्का बाजरा	2,763 -	- 43,437	- 43,437

6	गुजरात	मक्का बाजरा	389 7,284	- 766	- 766
7	उत्तराखंड	रागी	-	1,186	1,186
8	तमिलनाडु	रागी	-	99	99
9	आंध्र प्रदेश	रागी ज्वार	-	-	10,000 5,000
Total			**6,29,932**	**2,33,358***	**7,43,591**

3.11 27 फरवरी, 2023 को आयोजित साक्ष्य के दौरान जनजातीय लाभार्थियों , जनजातीय क्षेत्रों से खाद्यान्नों की खरीद आदि के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में सचिव , खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> "सर, जो ट्राइबल्स हैं, उनको हमारे हर कार्य में प्रायोरिटी दी जाती है। जैसा सदस्य ने बताया कि अंत्योदय योजना में जो ट्राइबल बेनेफिशियरीज़ हैं, पीबीटीजी को अंत्योदय में हम कैटेगराइज करते हैं। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स , ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को फर्स्ट फेज में कवर किया गया। हमारी सभी योजनाओं में आदिवासियों और जनजातीय जिलों और अनुसूचित जाति वर्ग को हमेशा पहली प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई स्पेसिफिकली बात है, जैसे आपने श्री अन्न की बात कही, तो श्री अन्न में मैंने आपको बताया कि हमारा सभी स्टेट्स को ओपन ऑफर है कि वे जो भी खरीदना चाहते हैं , सभी मोटे अनाज , सभी श्री अन्न , हम एनएफएसए में आपूर्ति करने को तैयार हैं। यह केवल राज्य सरकार की रूचि पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें चाहें तो हम उनके साथ 100 फीसदी हैं। उदाहरण के लिए, आपने ओडिशा के बारे में बात की और ओडिशा ने मना कर दिया है। वे कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अपना अन्न डिस्ट्रीब्यूट करेंगे श्री अन्न में। उसमें हमारे पास कम गुंजाइश है।"

3.12 इसके अतिरिक्त, 27 फरवरी, 2023 को लिए गए साक्ष्य के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि:

> "सर, ओडिशा में करीब 60 हजार टन के आसपास उनका रागी के प्रोक्योरमेंट का रहता है और वे अपनी स्टेट स्कीम में बांटते हैं। दूसरा, जो मिलेट का प्रमोशन है, हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, यह राज्यों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कोआर्डिनेशन के साथ इसको बढ़ा रहा है। कई राज्यों ने इंक्लूडिंग ओडिशा मिलेट मिशन भी स्टार्ट किया है कि मिलेट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ायें। हमारा जो डिपार्टमेंट का रोल है, उसको प्रोक्योर करके पीडीएस, मिड डे मील, आईसीडीएस में डिस्ट्रीबयूशन में आता है। जैसा सर ने बताया कि हमने सभी स्टेट्स को लिखा हुआ है। हमारा प्रोक्योरमेंट भी बढ़ रहा है। कर्नाटक ने बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया है। करीब एक-दो साल में अपना 50 पर्सेंट के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन रागी से ले आएंगे। यह हम लोग बढ़ा रहे हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस का विषय है और धीरे-धीरे इसकी एक्सेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इसका प्रोक्योरमेंट और कंजंप्शन औरबढ़ेगा |

3.13 प्रतिनिधियों ने अपने पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन में समिति को मिलेट की खरीद और वितरण बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों के बारे में निम्नवत् बताया:

- टीपीडीएस के अंतर्गत मिलेट खरीदने और वितरित करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को/ पोषण के-पीएम/एमडीएम/प्रोत्साहित करना। आईसीडीएसअंतर्गत बाजरा की आपूर्ति के लिए भी पूर्ण समर्थन दिया जाएगा

- मक्का के लिए माह तक 6, ज्वार 10 माह से 3 माह और रागी के लिए मौजूदा 9 बाजरा के लिए/ माह तक बाजरा की बढ़ी हुई वितरण अवधि शेल्फ लाइफ टीपीडीएस और/
पीएम पोषण में अधि भंडारण और वितरण अवधि में मदद करेगी।/एमडीएम/आईसीडीएस

- उपभोक्ता राज्यों द्वारा रखी गई अग्रिम मांग को पूरा करने के लिए एफसीआई के माध्यम से अधिशेष बाजरा के अंतरराज्य परिवहन का प्रावधान।-

- खरीद करने वाले राज्यों को अग्रिम सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जैसा कि गेहूं चावल की/ खरीद के मामले में दिया जा रहा है.

3.14 समिति पाती है कि मोटे अनाज /मिलेट की खरीद , आवंटन, वितरण और निपटान के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को उनके द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना पर भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर केंद्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटे अनाज /मिलेट)ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आदि (की खरीद करने की अनुमति है। खरीदी गई मात्रा राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों में टीपीडीएस)लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/(ओडब्ल्यूएस)अन्य कल्याणकारी योजनाओं (के अंतर्गत वितरित की जाएगी। इसके अलावा, यह बताया गया कि विभाग ने राज्य एजेंसियों /भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए मोटे अनाज के आवंटन , वितरण और निपटान के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और पहले की वितरण अवधि 3 महीने को बढ़ाकर 6-10 महीने कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अधिशेष मिलेट के अंतर -राज्यीय परिवहन के लिए अग्रिम सब्सिडी का प्रावधान भी शामिल किया गया है। विभाग ने यह भी बताया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा मिलेट का प्रचार-प्रसार विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के समन्वय से किया जा रहा है और विभाग की भूमिका केवल उन्हें खरीदने तथा पीडीएस , एमडीएम योजना और एकीकृत बाल विकास योजना)आईसीडीएस (जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए वितरित करने तक ही सीमित है। समिति , यह समझती है कि मिलेट सदियों से हमारे आहार का एक अभिन्न अंग रहा है और ढेर सारे स्वास्थ्य लाभों के अलावा , मिलेट कम पानी और कम आगत के चलते पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि मिलेट के स्वास्थ्य लाभ और पौष्टिक मूल्य के संबंध में उपभोक्ताओं और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है , जिससे इसके उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी राज्यों विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि जैसे महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले राज्यों में मिलेट के उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित करे और बाजरा उगाने का विकल्प चुनने वाले किसानों को हर संभव राजसहायता /सहायता/बोनस प्रदान करवाए। इसी तरह , गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन वाले राज्यों से गेहूं और चावल की खरीद बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, मिलेट की खपत को प्रोत्साहित करने के क्रम में ,समिति आगे सुझाव देती है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनकी निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल के साथ मिलेट लेने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए।

ग. <u>स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)</u>

3.15 कमी के दौरान खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए आरम्भ की गईसार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए एक तंत्र के रूप में विकसित हुई है। वर्षों से , पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पीडीएस प्रकृति में पूरक है और इसका उद्देश्य एक घर या समाज के एक वर्ग को इस योजना के अंतर्गत वितरित किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता को उपलब्ध कराना नहीं है।

एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त दायित्व के अंतर्गत संचालित किया जाता है। केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकारों हेतु खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली है। राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान , राशन कार्ड जारी करना , उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की देखरेख सहित परिचालन संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों की होती है। पीडीएस के अंतर्गत, वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को गेहूं , चावल और मोटे अनाज जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है। भविष्य में पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं की और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि , टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9(9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए , उचित दर दुकान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे सकती है।

3.16 मंत्रालय ने अपने पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन में समिति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रस्तावित स्म)ार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना के बारे में (:निम्नानुसार सूचित किया है

<u>स्मार्ट" पीडीएस के उद्देश्य</u>

1. ईगवर्नेंस को मजबूत करना-

आईएम के अलावा प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को (ओएनओआरसी) पीडीएस योजना-आगे बढ़ाने के लिए राज्योंगवर्नेंस के प्रमुख तत्वों को मजबूत करनासंघ राज्यज क्षेत्रों में ई/

2. पीडीएस सॉफ्टवेयर(सास) सर्विस-एज-

राशन कार्ड प्रबंधन से लेकर एफपीएस पर अंतिम छोर तक वितरण द्वारा संपूर्ण पीडीएस संचालन के लिए एक अग्रिम, मानक और स्केलेबल सास समाधान का विकास और कार्यान्वयन

3. मजबूत और स्केलेबल क्लाउड आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

संपूर्ण पीडीएस संचालन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत और एकीकृत क्लाउड आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

4. डाटा एनालिटिक्स की मुख्यधारा

डाटा एनालिटिक्स की नई पहल के माध्यम से डेटा संचालित निर्णय लेना और केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी, डाटा एनालिटिक्स, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना

5. संस्थागत ढांचा

तकनीकी जनशक्ति और परियोजना प्रबंधन सहायता के माध्यम से राज्यों संघ राज्यण क्षेत्रों और/केंद्र के लिए संस्थागत ढांचे का लाभ उठाना

6. पीडीएस के लिए ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म अन्य मंत्रालयों विभागों के साथ सहज एकीकरण/ के लिएओपन एपीआई प्लेटफॉर्म और डेटा मानकों का विकास और पीडीएस की पहुंच बदलने में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

7. मौजूदा प्रौद्योगिकीसंबंधी सुधारों की स्थिरता-

कमियों पर काबू पाना और मौजूदा आईएमपीडीएस योजना में और सुधार करना और स्मार्ट पीडीएस अनुप्रयोगों के विकास में मजबूत नींव रखना। "

3.17 सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 27 फरवरी, 2023 को आयोजित साक्ष्य के दौरान स्मार्ट पीडीएस पर प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया:

> "सर, स्मार्ट पीडीएस में एक्चुअली डिफरेंट स्टेज में होता है, प्रोक्योरमेंट होगा, फिर उसको डिपो मेल किया जाएगा, उसके बाद सेंट्रल पूल में आएगा, उसके बाद उसकी एलोकेशन होगी एनएफएसए के लिए, उसके बाद वह राशन शॉप में जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसको ऑटोमेट करने के लिए, कंप्यूटराइज्ड करने के लिए

हमने स्मार्ट पीडीएस की कल्पना की है। जो सिस्टम बनेगा, उसमें उसका स्टेजवाइज प्रोक्योरमेंट हुआ, उसके बाद वह कहां पर स्टोर किया गया, कहां पर उसकी एलोकेशन हुई, एफपीए शॉप में उसको कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा गया और कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस सब की उसके माध्यम से जानकारी मिलेगी। किसी भी जगह हम बैठे जान पाएंगे कि कितना स्टॉक कहां से प्रोक्योर हुआ, कहां पर स्टोर किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना लिफ्ट किया और किस फेयर प्राइस शॉप पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटीकृत की जाएगी।"

3.18 समिति नोट करती है कि खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली; केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी से संचालित होती है। समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधारों द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करती है। मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने करने के क्रम में स्मार्ट-पीडीएस के उद्देश्यों ; पीडीएस सॉफ्टवेयर-एज-सर्विस (सास); रोबस्ट एंड स्केलेबल क्लाउड आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ; डेटा एनालिटिक्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की मेनस्ट्रीमिंग ; पीडीएस के लिए ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म और मौजूदा प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों की स्थिरता की जानकारी दी। इस प्रस्तावित स्मार्ट-पीडीएस योजना में, सभी प्रक्रियात्मक चरण यथा खाद्यान्न की खरीद , इसे डिपो और केंद्रीय पूल में भेजना , एनएफएसए के लिए आवंटन और एफपीएस द्वारा वितरण पूर्णतया स्वचालित होगा। इसलिए समिति महसूस करती है कि स्मार्ट पीडीएस प्रौद्योगिकी और पारंपरिक वितरण प्रणाली का संयोजन है जो न केवल पीडीएस में पारदर्शिता लाएगा अपितु कुशल निगरानी और वितरण में तेजी लाने में भी मदद करेगा। समिति आशा करती है कि राशन कार्ड प्रबंधन से लेकर एफपीएस में अंतिम मील वितरण तक संपूर्ण पीडीएस संचालन के लिए एक अग्रिम, मानक और स्केलेबल 'सास' समाधान शीघ्रता से विकसित किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र लागू की जाए।

घ. <u>उचित दर दुकान रूपांतरण</u>

3.19 मंत्रालय ने सूचित किया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) 2013 ,एनएफएसए (के उपबंधों के अंतर्गत शासित किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत , "खाद्यान्न "शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या उनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया

गया है, जो ऐसे गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप है, जैसा कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 (एनएफएसए (के अंतर्गत , लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली)टीपीडीएस (के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसके अलावा , राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने वाली खाद्य या पोषण-आधारित योजनाओं या योजनाओं को जारी रख सकती हैं या तैयार कर सकती हैं। टीपीडीएस)नियंत्रण (आदेश, 2015 के खंड 9(9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए , उचित दर दुकान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली)टीपीडीएस (के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे सकती है।

3.20 मंत्रालय ने अपने पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया है कि एफपीएस की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार और लाभार्थी अनुभव को बढ़ाना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एफपीएस पर अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य विभागों , सेवा प्रदाताओं और निजी हितधारकों के साथ साझेदारी और समन्वय की सुविधा प्रदान कर रहा है। ~40, 000एफपीएस को सीएससी के रूप में जोड़ा गया है और इसी तरह के प्रयास एफपीएस पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के साथ चल रहे हैं। एफपीएस परिवर्तन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 15फरवरी, 2023को एफपीएस परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था

ङ <u>एक राष्ट्र ,एक राशन कार्ड</u>

3.21 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन)आईएमपीडीएस "(योजना के अंतर्गत विभाग 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू कर रहा है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए (के अंतर्गत कवर किए गए किसी भी पात्र राशन कार्ड धारक /लाभार्थी को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल)ईपीओएस (डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके , देश में कहीं भी , अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान)एफपीएस (से अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाता है। राशन कार्डों की राष्ट्र व्यापी पोर्टिबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना को 3**6** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों)देश भर में (में लागू किया गया है ,जिसमें लगभग **80** करोड़ लाभार्थियों ,अर्थात देश की

लगभग **100** %प्रतिशत एनएफएसए जनसंख्या को कवर किया गया है। 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ')ओएनओआरसी (के अंतर्गत शुरुआत से अर्थात अगस्त 2019से लगभग 100करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। दिसंबर 2022की स्थिति के अनुसार प्रत्येक माह एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई सहित लगभग 3.5करोड़ मासिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए थे।

3.22 मंत्रालय ने 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत राज्यों के भीतर/ राज्यों के मध्य पोर्टेबिलिटी के लाभार्थियों के संबंध में आंकड़े निम्नवत् प्रस्तुत किए हैं:

राज्ये	कुल अंतरा-राज्य् पोर्टेबिलिटी लेनदेन	कुल अंतर-राज्य सुवाह्यता लेनदेन
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33,946	405
आंध्र प्रदेश	11,94,74,507	3,758
अरुणाचल प्रदेश	1,218	242
असम	11,15,638	49
बिहार	31,88,26,011	42,303
चंडीगढ़	-	371
छत्तीसगढ	25,60,960	2,725
दिल्ली	1,79,33,121	46,88,957
गोवा	32,628	14,700
गुजरात	37,18,218	2,59,766
हरियाणा	4,76,07,022	8,23,229
हिमाचल प्रदेश	1,237	88,858
जम्मू और कश्मीर	13,34,471	46,553
झारखंड	26,77,225	21,775
कर्नाटक	5,89,30,029	30,745
केरल	5,43,94,910	32,092
लद्दाख	-	315
लक्षद्वीप	9,349	54
मध्य प्रदेश	3,27,10,328	38,217
महाराष्ट्र	4,99,43,122	3,42,043

मणिपुर	1,505	20
मेघालय	38	119
मिजोरम	6,090	4
नागालैंड	32,171	410
ओडिशा	92,037	1,210
पुदुच्चे री	-	798
पंजाब	93,33,175	18,012
राजस्थान	10,97,18,934	78,786
सिक्किम	12,279	1,081
तमिलनाडु	65,53,097	13,262
तेलंगाना	8,45,07,824	15,569
दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	2,82,881	1,22,339
त्रिपुरा	11,95,858	13,944
उत्त4र प्रदेश	6,14,44,491	41,484
उत्तराखंड	-	66,221
पश्चिम बंगाल	52,75,769	4,563
कुल	98,97,60,089	68,14,979

3.23 यह पूछे जाने पर कि क्या सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानें पूर्ण रूप से स्वचालित हैं ,मंत्रालय ने सूचित किया कि उचित दर दुकान स्वचालन के अंतर्गत ,उचित दर दुकानों से खाद्यान्नों के उठान के समय इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल)ईपीओएस (उपकरण के जरिए एनएफएसए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन किया जा रहा है। आधार प्रमाणन के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण हेतु ईपीओएस उपकरणों को स्थापित करके देश की लगभग सभी उचित दर दुकानों को स्वचालित किया जाता है।

3.24 विभिन्न प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों जैसे लाभार्थियों द्वारा उचित दर दुकानों पर ई -पीओएस के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणन ,राशन कार्डों/लाभार्थियों का डी - डुप्लिकेशन और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आदि से एनएफएसए प्राप्त खाद्यान्नों की घोस्ट लिफ्टिंग और अन्यत्र हस्तांतरण/लीकेज को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता मिल रही है।

3.25 मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्तमान में , राशन कार्ड के साथ समग्र आधार सीडिंग राष्ट्रीय स्तर पर 99.6% को पार कर गई है।

3.26 समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ,मंत्रालय ने बताया कि अब तक , आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। नेटवर्क संबंधी मुद्दों के कारण अरुणाचल प्रदेश , लक्षद्वीप और मणिपुर में इसका कार्यान्वयन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा यह गतिविधि चंडीगढ़ और पुडुचेरी में लागू नहीं है क्योंकि डीबीटी नकदी को दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

3.27 समिति नोट करती है कि अब तक 31 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का/ कम्प्यूटरीकरण क्रियान्वित किया जा चुका है। नेटवर्क संबंधी समस्या के कारण अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मणिपुर में इसका कार्यान्वयन अभी भी पूरा किया जाना शेष है। इसके अलावा , यह गतिविधि चंडीगढ़ और पुडुचेरी में लागू नहीं है , क्योंकि डीबीटी नकद दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई है।

इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में नेटवर्क से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न हो पाने के आधार पर पात्र परिवार खाद्यान्न की वैध हकदारी से वंचित न रहे।

3.28 समिति नोट करती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9(9) के अनुसार, राज्य सरकारें उचित दर दुकानों (एफपीएस) के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के क्रम में, उन्हें खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति दे सकती हैं। मंत्रालय ने एफपीएस की आर्थिक व्यवहार्यता की आवश्यकता को पहचानते हुए, लाभार्थी अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। समिति इस बात की सराहना करती है कि डीएफपीडी उचित दर दुकानों के माध्यम से अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कराने के लिए अन्य विभागों, सेवा प्रदाताओं और निजी हितधारकों के साथ साझेदारी और समन्वय की सुविधा प्रदान कर रहा है। ~ 40,000 एफपीएस को सीएससी के रूप में जोड़ा गया है और उचित दर दुकानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसी तरह के प्रयास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के साथ किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ये दुकानें लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के साथ-साथ आधार और पैन कार्ड के लिए पंजीकरण , ट्रेन टिकटों की बुकिंग, बैंक बैलेंस पता करने और विभिन्न योजनाओं की पात्रता से संबंधित जानकारी देने जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करेंगी। समिति का सुझाव है कि समयबद्ध तरीके से सभी उचित दर दुकानों

को शामिल करने की पहल का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। समिति उचित दर दुकानों में परिवर्तन करने के लिए तैयार किए गए रोडमैप से भी अवगत होना चाहती है। इसके अलावा , समिति परियोजना को अविलंब पूरा करने के लिए राज्यों को गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने की संभावना तलाशने का भी सुझाव देती है।

च. <u>फोर्टिफाइड चावल का वितरण</u>

3.29 भारत सरकार ने दिनांक 14फरवरी 2019 ,को 174.64 ,करोड़ रूपए के कुल बजट परिव्य/य के साथ वर्ष 20-2019की शुरूआत से तीन वर्षों के लिए 'चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इसका वितरण ' संबंधी केंद्रीय प्रायोजित पाइलट स्कीचम को अनुमोदित किया था। यह पायलट स्कीम दिनांक 31.03.2022को समाप्त हुई। वित्त वर्ष 20-2019से 23-2022के लिए पायलट स्कीम में बजट अनुमान ,संशोधित अनुमान और वास्तविक परिव्यय निम्नानुसार है-:

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	वित्ता वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तिविक व्य(य)एई)
1	2019-20	42.65	1.00	0.00
2	2020-21	20.00	9.00	2.35
3	2021-22	70.00	9.05	10.01
4*	**2022-23**	**10.13**	**9.41**	**7.08 (13.01.2023)**

* यह पायलट स्कीम दिनांक 31.03.2022को समाप्त हुई। तथापि ,बजट अनुमान 23-2022में ,दिनांक 31मार्च 2022तक की अवधि के लिए बकाया 10.13करोड़ रुपये)व्यावसायिक सेवाएँ और घरेलू यात्रा व्यय सहित (राज्य सरकारों आदि के लंबित प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पायलट स्कीम के अंतर्गत कुल ग्यारह (11)राज्यों ने 4.30लाख टन)लगभग (फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया।

3.30 लक्षित आबादी के बीच फोर्टिफाइड चावल का एक समान पौषणिक प्रभाव हासिल करने के लिए, भारत सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप में वर्ष 2024तक सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए आईसीडीएस और पीएम-पोषण सहित समग्र टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी स्कीमों)ओडब्ल्यूएस (में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

चरण-। की स्थिति:

मार्च 2022तक पूरे भारत में 266.91 करोड़ रुपये)वित्त वर्ष 22-2021के लिए क्रमशः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वहन किया गया (की प्रस्तावित लागत के साथ आईसीडीएस और पीएम पोषण को कवर किया जा रहा है।

कोविड 19-महामारी के दौरान, आंगनवाड़ी/आईसीडीएस केंद्रों, स्कूलों को बलपूर्वक बंद करने के अलावा राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक लॉकडाउन के कारण लोजिस्टिक्स सहित कई गतिविधियां प्रभावित रहीं, जिसके परिणामस्वरूप चरण 1-में कार्यान्वयन के वांछित स्तर में कमी आई। कोविड 19-की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद , लॉकडाउन हटा लिया गया।तत्पश्चात ,क्रमशः आइसीडीएस और पीएम पोषण के अंतर्गत वितरण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की आवश्यकता की तुलना में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 22-2021की तिमाही 3और तिमाही 4में सिर्फ फोर्टिफाइड चावल का आवंटन किया। आइसीडीएस और पीएम पोषण के अंतर्गत वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 17.51लाख टन फोर्टिफाइड चावल का उठान किया गया है।

चरण-II **की स्थिति** (2022-23):

उपर्युक्त चरण । के साथ-साथ मार्च 2023तक 1323.38 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत)इस विभाग की खाद्य सब्सिडी बिल में शामिल है (के साथ बौनेपन पर सभी आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों)कुल 291जिलों (में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

चरण –II का कार्यान्वयन अप्रैल 2022से आरंभ हो गया है जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत आईसीडीएस ,पीएम-पोषण केंद्रों और 291आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों को कवर किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2022की स्थिति के अनुसार , आईसीडीएस और पीएम-पोषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 22.92लाख टन फोर्टिफाइड चावल का उठान किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 291 ,जिलों में से 269 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों को कवर किया गया जबकि शेष 22आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिले गेहूं उपभोग वाले राज्यों नामतः हरियाणा ,पंजाब और राजस्थान के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 62.10लाख टन फोर्टिफाइड चावल का उठान किया गया है।

चरण-III **की स्थिति**:

उपर्युक्त चरण 2के साथ-साथ मार्च 2024तक **2679.47** करोड़ रुपये की प्रस्तावित वार्षिक लागत)इस विभाग की खाद्य सब्सिडी बिल में शामिल है (के साथ देश के शेष जिलों को कवर करना।

आवंटन और उठान का ब्यौरा

(आकड़े लाख टन में)

चरण	आवंटन	उठान (आईसीडीएस + पीएम पोषण + टीपीडीएस)
चरण I (मार्च 2022 तक)	34.20	17.51 लाख टन (आईसीडीएस + पीएम पोषण)
चरण II (मार्च 2023 तक)	183.48	101.25 लाख टन
चरण III (मार्च 2024 तक)	अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा	

अध्याय चार

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना (एफसीआई)1965 में संसद के एक अधिनियम अर्थात् खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी। निगम का प्राथमिक कर्तव्य खाद्यान्नों का प्रापण , खरीद, भंडारण, संचलन, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। भारत सरकार की खाद्य नीति की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, एफसीआई किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उनकी उपज की हताशा में की गई बिक्री को रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद करती है। एफसीआई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को भी बनाए रखता है। यह सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से (पीडीएस) उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्न प्रदान करता है।

क. भारतीय खाद्य निगम का बकाया और देयताएं

4.2 मंत्रालय ने गत वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भुगतान के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से वसूल किए जाने वाले एफसीआई के बकाया देय की जानकारी दी है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	2018-19		वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल/समायोजित राशि	2019-20		वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वसूल/समायोजित राशि	2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वसूल/समायोजित राशि	2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वसूल/समायोजित राशि		2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वसूल/समायोजित राशि
	अथ शेष	अंत शेष		अथ शेष	अंत शेष		अथ शेष	अंत शेष		अथ शेष	अंत शेष		अथ शेष	अंत शेष दिसम्बर-2022)
	क	ख	ग=क-ख	घ	ङ	च=घ-ङ	छ	ज	झ=छ-ज	ञ	ट	ठ=ञ - ट	ड	ढ
ग्रामीण विकास मंत्रालय	2,454.03	2,454.03	-	2,454.03	2,454.03	-	2,454.03	2,454.03	-	2,454.03	2,454.03	-	2,454.03	2,454.03

विदेश मंत्रालय	103.65	47.99	55.66	47.99	47.99	-	47.99	60.43	-	60.43	56.46	3.97	56.46	98.55
रक्षा मंत्रालय	1.43	0.73	0.70	0.68	0.64	0.04	24.26	0.42	23.84	0.42	0.43	-	0.43	1.06

4.3 समिति ने यह पूछा कि क्या कोई समय -सीमा निर्धारित की गई है जिसके द्वारा मंत्रालयों को बकाया देय राशियों का भुगतान करना अपेक्षित है। मंत्रालय ने बताया कि एसजीआरवाई के अंतर्गत मुद्दों के लिए पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मामले में कोई समय -सीमा नहीं थी। एमडीएम में भुगतान की विकेंद्रीकृत योजना के अंतर्गत, एफसीआई द्वारा बिल जमा करने के बाद भुगतान करने के लिए 20 दिनों की समय सीमा है।

4.4 भारतीय खाद्य निगम की पिछले वर्षों की बकाया राशियों को समाप्त करने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों के संबंध में एक लिखित उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :

" **ग्रामीण विकास मंत्रालय**

एसजीआरवाई से संबंधित बकायों का निपटान करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और , ने (खाद्य) एफसीआई इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ नियमित रूप से उठा रहे हैं। सचिव पी एवं) पत्र लिखा। संयुक्त सचिव .शा. को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव को अ 17.01.2021 दिनांक एफसीआई के पत्र के अनुसरण में 12.12.2022 और 03.02.2022 ,29.11.2021 की अध्यक्षता में दिनांक (की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित (कार्मिक एवं एफसीआई) को संयुक्त सचिव 04.06.2021 दिनांक की गई थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एमडीएम स्कीम के मामले में भारतीय खाद्य निगम के बकाया का निपटान करने संबंधी मामले नियमित , 326/22-21/डीसेंट/(1) 16/एमडीएम/एसी/ए . अंतराल के साथ उठाया जाता है। पत्र संदिनांक के 12.12.2022 और 02.02.2020अंतर्गत अंतिम पत्र निदेशक ,(एमडीएम)मानव संसाधन विकास मंत्रालय" नई दिल्ली को जारी किया गया है। ,

4.5 समिति पाती है कि भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भुगतान के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी से यह पता चलता है कि विभिन्न मंत्रालयों पर भारी राशि बकाया है। समिति महसूस करती है कि विभिन्न मंत्रालयों से बकाया राशि की वसूली का मामला लंबित

मामलों में से एक है। समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश भी की थी कि विभाग को लंबित राशि की वसूली के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। इसलिए विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह मामले को विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर उठाए।

ख. गोदामों का निर्माण

4.6 मंत्रालय ने सूचित किया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल का स्टॉक रखने के लिए दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कुल कवर्ड भंडारण क्षमता 712.23 लाख टन है जबकि ,324.07 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध है। यह क्षमता 411.20 लाख टन)1 जुलाई की स्थिति के अनुसार के पीक बफर मानदंडों का (1.73 गुना है।

4.7 भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर , मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नानुसार बताया:

"भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतर मूल्यांकन के आधार पर भंडारण क्षमताओं का सृजन किराए पर लिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम/ निम्नलिखितस्कीमों के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि कर रहा है:-

.1निजी उद्यमी गारंटी योजना। (पीईजी)

.2केंद्र क्षेत्र योजना ।(सीएसएस)

.3पीपीपी मोड के अंतर्गत साइलो का निर्माण। (एसआईएलओ)

.4सीडब्ल्यूसी राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।/एसडब्ल्यूसी/
के अंतर्गत गोदामों को किराए पर लेना। (पीडब्ल्यूएस) निजी भंडारण योजना .5"

4.8 मंत्रालय ने दिनांक 30 जून की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कवर्ड कैप और/ का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार (उच्चतम क्षमता) किराए पर ली गई कुल भंडारण क्षमता/स्वामित्व प्रस्तुत कि्या है:

(आंकड़े लाख टन में)

	क्षमता/ स्टॉक	भंडारण क्षमता (30जून की स्थिति के अनुसार)			कैप क्षमता (30जून की स्थिति के अनुसार)			सकल योग	उपयोग का %
		निजी	किराए के	कुल	निजी	किराए के	कुल		

2018-19	क्षमता	128.42	226.62	355.04	26.02	0.00	26.02	381.06	88%
	स्टॉक	103.00	229.26	332.26	2.71	0.00	2.71	334.97	
2019-20	क्षमता	127.33	252.17	379.50	26.02	1.79	27.81	407.31	92 %
	स्टॉक	109.30	256.03	365.33	6.58	2.62	9.20	374.53	
2020-21	क्षमता	127.77	254.53	382.30	26.02	5.77	31.79	414.09	89 %
	स्टॉक	98.29	256.75	355.08	6.00	5.88	11.88	366.96	
2021-22	क्षमता	151.58	290.46	442.04	25.71	12.32	38.03	480.07	88 %
	स्टॉक	111.23	294.00	405.23	5.82	12.91	19.18	424.41	
2022-23	क्षमता	148.25	264.75	413.00	कैप को समाप्त3 किया जा रहा है				78 %*
	स्टॉक	94.04	229.97	324.01					

के लिए गेहूं की कम खरीद होने के कारण। 23-2022 रबी विपणन मौसम*

4.9 भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता , राज्यों द्वारा किराए पर ली गई भंडारण क्षमता से बहुत कम होने के कारणों के संबंध में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि भांडागारण निगमों/निजी निवेशकों से गोदामों को किराए पर लेना/सृजित करना भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली क्षमता के निर्माण की तुलना में लागत प्रभावी है। इसके अतिरिक्त , किराए पर ली गई क्षमता निम्नलिखित कारणों से प्रचालनात्मक रूप से अधिक व्यवहार्यगत है:

"यदि बदले हुए खरीद पैटर्न या उपभोक्ता वरीयता आदि के कारण खाद्यान्नों के उठान में परिवर्तन से किसी अन्य स्थान पर इसकी आवश्यकता होती है तो किसी विशेष स्थान/स्थल पर एक बार नि र्मित की गई स्वामित्व वाली क्षमता को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जबकि किराए की क्षमता को आवश्यकता के अनुसार किराए पर लिया जा सकता है और फिर से खाली किया जा सकता है। अतएव निजी निवेश को आकर्षित करके क्षमता का सृजन/क्षमता को किराए पर लेने को प्राथमिकता दी जाती है।

स्वामित्व क्षमता का सृजन केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजटीय प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है। केवल पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ पर्वतीय/दुर्गम राज्यों में बजटीय संसाधनों का उपयोग सीएसएस के अंतर्गत भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है, जहां निजी निवेशक आगे नहीं आते हैं।"

4.10 समिति ने आगे पूछा कि क्या भारतीय खाद्य निगम ने स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता की तुलना में किराया देयता पर व्यय के संबंध में कोई आकलन किया है । मंत्रालय ने सकारात्मक उत्तर दिया औया बताया कि भारतीय खाद्य निगम के बजट और लागत डिवीजन ने स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता की

लागत की तुलना में किराये की देयता पर व्यय के संबंध में आकलन किया है। भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली क्षमता के निर्माण की तुलना में भांडागारण निगमों निजी निवेशकों से गोदामों को किराए/ सृजित करना लागत प्रभावी है।/पर लेना

4.11 पिछले पांच वर्षों के दौरान एफसीआई द्वारा निर्मित भंडारण क्षमता और एनएफएसए , 2013 के कार्यान्वयन के दृष्टिगत गोदामों के निर्माण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धि के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया:

<u>वास्तविक लक्ष्य</u>

(क्षमता टन में)

क्र. सं.	**राज्य्**	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	असम	-	-	20000	-	20000	-	20000	20000	-	
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	2790	-	2790	-	2790	1670
3	मणिपुर	19600	17100	2500	2500	4730	-	4730	-	4730	4730
4	मेघालय	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	
5	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	नगालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल	22100	17100	25000	2500	30020	-	30020	20000	10020	6400
1.	हिमाचल प्रदेश	3340	3340	2240	-	6620	-	6620	-	6620	2240
2.	केरल	15000	15000	-	-	-	-	-	-		
3.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-		
	कुल	18340	18340	2240	-	6620	-	6620	-	6620	2240
	सकल योग (पूर्वोत्त + अन्यय)	40440	35440	27240	2500	36640	-	36640	20000	16640	8640

वित्तीय लक्ष्य

4.12 एफसीआई द्वारा वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय प्रगति लक्ष्य) (और उपलब्धिका सारांश

(परिव्यय करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22`		2022-23 (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	असम	15.00	33.17	16.50	15.89	14.50	14.49	18.50	11.63	35	6.846
2	अरुणाचल प्रदेश	2.50	2.80	1.00	0.40	5.50	1.64	6.00	1.03	2.50	1.4969
3	मणिपुर	14.00	15.94	9.00	10.51	13.00	10.22	9.50	2.15	10.00	3.816
4	मेघालय	2.00	0.30	2.00	1.16	1.50		2.00	1.5	1	1.1523
5	मिजोरम	-	0.03	0.50	-	8.70	3.15	9.00	2.53	12.50	7.2091
6	नगालैंड	1.00	-	-	-	1.80	0.21	5.00	-	-	
7	सिक्किम	4.00	0.12	4.00	-	-	-	-	-	-	
8	त्रिपुरा	4.00	0.08	12.00	-	-	-	-	-	-	
	कुल	42.50	52.44	45.00	27.96	45.00	29.70	50.00	18.85	60.00	20.52
1.	हिमाचल प्रदेश	2.50	3.79	1.50	1.65	8.00	2.85	8.00	1.68	1	1.023
2.	केरल	-	3.40	1.00	2.89	2.00	0.76	-	0.75	-	0.7074
3.	झारखंड	-	2.37	1.50	0.15	6.00	1.37	7.00	0.68	29	3.9903
	कुल	2.50	9.46	4.00	4.28	16.00	4.98	15.00	3.12	30.00	5.73
	सकल योग (पूर्वोत्तशस॒ अन्यक	45.00	61.90	49.00	32.24	61.00	34.68	65.00	21.97	90.00	26.25

4.13 मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण और गोदामों" के मामले में , राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है , जिसमें बहुत समय लगता है। इसके साथ ही , पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश की कठोर स्थलाकृतिक स्थितियां और खराब मौसम की स्थिति काम की प्रगति की धीमी गति में योगदान करती है।

जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में एफसीआई द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कोई गोदाम नहीं बनाया जा रहा है।

4.14 मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण और गोदामों" के तहत एफसीआई द्वारा निर्धारित वास्तविक लक्ष्य के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़े निम्नानुसार हैं

क्रं सं	राज्य	स्थान	क्षमता
1	असम	कोकराझार	15000 टन
2	अरुणाचल प्रदेश	रोइंग	1120 टन
3	मिजोरम	सैरंग	10000 टन
		चंपई	3340 टन
कुल			29,460 टन

वित्ती य वर्ष 2023-24 के लिए, पूर्वोत्तरर क्षेत्र के लिए एफसीआई द्वारा60 करोड़ रुपए का वित्तीरय लक्ष्य निर्धारित किया गया।

4.15 समिति यह नोट करके चिंतित है कि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम पूर्वोत्तर राज्यों , हिमाचल प्रदेश, केरल और झारखंड में गोदामों के संनिर्माण का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य 10020 मीट्रिक टन का था, लेकिन इसकी उपलब्धि)31.12.2022 की स्थितिनुसार केवल (6400 मीट्रिक टन रही। वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित वित्तीय लक्ष्य ,60 करोड़ रुपए था , लेकिन उपलब्धि केवल 20.52 करोड़ रुपये की रही। इसी प्रकार से , हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 6620 मीट्रिक टन का था लेकिन उपलब्धि)31.12.2022 की स्थितिनुसार केवल (2240 मीट्रिक टन रही। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड आदि के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धियों में हुई प्रगति से यह पता चलता है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना काफी कम है।

मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना के मामले में " भंडारण और गोदामों", राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है , जिसमें काफी समय लगता है। इसके साथ ही , पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश की कठोर स्थलाकृतिक स्थितियां और खराब मौसम काम की धीमी

प्रगति के मुख्य कारण हैं। समिति का मत है कि ये कारक सर्वविदित हैं और योजना बनाते समय पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की इन कठोर वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और तदनुसार, योजनाओं की कार्यान्वयन कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए थी। अत समिति मंत्रालय : से इन मुद्दों का समाधान करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करती है।

जम्मू और कश्मीर , अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत कोई गोदाम नहीं बनाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि उनके पास मिनी गोदामों के निर्माण की कोई योजना नहीं है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर-, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण- करने के संबंध में समिति का मानना है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए पहले ही से आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में समिति ने मंत्रालय को मिनी गोदामों के , निर्माण की संभावना तलाशने का सुझाव दिया।

ग <u>स्मार्ट जूट बैग</u>

4.16 खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए जूट के बैग के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 27 फरवरी, 2023 को समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए निम्नवत उल्लेख किया:

"दूसरी बात, जैसा कि मैडम ने जूट के बैग में अनिवार्य पैकेजिंग के बारे में उल्लेख किया है , हमने वस्त्र मंत्रालय को वचन दिया है। जो भी जूट बैग उपलब्ध हैं , हम जूट उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी जूट के बैग की खरीद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। **अगर वह जूट बैग्स नहीं दे पाए तो प्रोक्योरमेंट तो सफर नहीं कर पाएगा।** इसके बाद, हमें जूट के बैग में प्रतिशत पैकेजिंग के संबंध में छूट या उसमें थोड़ी कमी करनी होगी । **वह नॉर्मली शुगर के लिए होता है। पिछले सालों में वह गेहूं के लिए होता था। इस साल हम सुन रहे हैं कि प्रोडक्शन काफी है**, **तो जूट इंडस्ट्री जूट बैग्स का जितना प्रोडक्शन करेंगे**, हम जूट के सभी बैग, जिनकी उद्योग हमें आपूर्ति कर सकता है, की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ।

"मैनडेटरी पैकेजिंग एक्ट को अब एफसीआई 100 परसेंट करती है। जूट कमीशनर के माध्यम से हम अपनी चीजों को लाकर काम करते हैं। अभी बीआईएस के जरिए स्मार्ट जूट बैग एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसमें जूट के साथ 25 परसेंट ऐड मिक्सर करके एक स्मार्ट जूट बैग बनाने की कोशिश की जा रही हैं।

इससे जूट बैग की गुणवत्ता इंप्रूव हो जाएगी और लाइफ साइकल भी बढ़ जाएगी। इसके ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अभी कार्य कर रहा है। जैसे ही वे स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे, तब हम उसको यूज करेंगे। उसमें भी 75 पर्सेंट जूट का ही यूज होगा। इसके अलावा एक चीज हमने और की है कि जब राइस आता है, उसको रिसीव करते समय जितने मिलर्स हैं, उनको हेरास किया जाता है, जैसा कि आपने कहा, तो उसके लिए हमने एक आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मशीन बनवाई है। पायलट बेसिस पर अभी पचास जगह पर उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। उसका डिमांस्ट्रेशन सब जगह किया जा रहा है। मशीन के अंदर अगर आप चावल डालेंगे तो जितने हमारे पैरामीटर्स हैं, वे मशीन की स्क्रीन पर अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। दो मिनट के अंदर जितना सैंपल लिया गया है, उसका नतीजा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। यह मशीन अभी पचास जगह पर इंट्रोड्यूस की गई है, उसका डिमांस्ट्रेशन चल रहा है। हमें तो उम्मीद है कि डिमांस्ट्रेशन 99 पर्सेंट सक्सेसफुल है। अगर यह हैंड्रेड पर्सेंट सक्सेसफुल रहा और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया तो एक अप्रैल से सब जगह में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे जिससे गुणवत्ता की जांच करने के लिए मिलर्स का जो हेरासमेंट होता है, वह कम हो जाएगा।"

4.17 समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के समक्ष जूट उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी जूट बैगों की खरीद की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि बीआईएस के सहयोग से वे 75% जूट में 25% मिश्रण करके स्मार्ट जूट बैग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जूट बैग की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसकी उपयोग अवधि बढ़ेगी। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए टिकाऊ और स्थानीय रूप से उत्पादित जूट बैग बनाने की दिशा में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए , समिति चाहती है कि विभाग खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए जूट बैग का उपयोग करने की प्रथा को जारी रखे और स्मार्ट जूट के थैले को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी लाए स्मार्ट ;ताकि , जूट के थैलों का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र आरंभ किया जा सके।

घ. **<u>खाली रेकों की कमी</u>**

4.18 एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या एफसीआई द्वारा अपने प्रचालन और ढुलाई में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:

''एफसीआई की आवश्यकता के मुकाबले मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़, ओडिशा क्षेत्र में खाली रेकों की कम आपूर्ति की समस्या रही है। इसके अलावा , माल शेड में खराब सड़कें , उचित रोशनी की सुविधा न होना आदि जैसी ढांचागत कमियां हैं, जिससे संबंधित माल शेड में लोडिंग/अनलोडिंग प्रचालन प्रभावित होते हैं। इन मुद्दों को भारतीय खाद्य निगम और इस विभाग द्वारा रेलवे के साथ नियमित आधार पर उठाया गया है और रेलवे ने भी सहयोग दिया है।''

<u>खाद्यानों की राज्य के भीतर और एक राज्य से अन्य राज्यों में ढुलाई हेतु मार्ग इष्टतमीकरण अध्ययन</u>

4.19 मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान समिति को परिवहन लागत में समग्र कमी और गोदाम क्षमताओं , उपलब्ध खाद्यों और परिवहन अवसंरचना जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रायोजन के आधार पर एफआईटीटी, आईआईटी-दिल्ली के माध्यम से खाद्यान्नों के राज्य के भीतर और एक राज्य से अन्य राज्यों के भीतर ढुलाई के मार्ग के इष्टतमीकरण अध्ययन के निर्णय के बारे में सूचित किया।

उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इष्टतमीकरण के बाद एफपीएस पर कम की गई सड़क दूरी के नमूने प्रस्तुत किए।

4.20 दिनांक 27 फरवरी, 2023 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष निम्नानुसार उल्लेख किया:

> **"**हमारे विभाग की तरफ से एक और पहल की गई है। अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, अंतर्राज्यीय यातायात के दृष्टिकोण से , जो एफसीआई करता है, खाद्यान्न अधिशेष राज्य से खाद्यान की कमी वाले राज्य, उसके बाद डेफिसिटस्टेट में पहुंचकर, एक डिपो से उचित दर की दुकान तक , उसमें जोट्रांसपोर्टेशन होती है, क्योंकि काफी अरसे से वह सिस्टम चला आ रहा है कि किसडिपो को किस फेयरप्राइसशॉप से टैग किया जाएगा। उसके बाद काफी नये फेयरप्राइसशॉप्स बन चुकेहैं, काफी नई सड़कें बन चुकी हैं, काफी नये डिपोज बन चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, पुराना सिस्टम चला आ रहा

है। हमने डब्ल्यूएफपी के माध्यम से एक स्टडी की थी कि हम रूट को कैसे ऑप्टिमाइज कर पाएं ताकि जो नयी सड़कें या नये डिपोज बनेहैं या नये फेयर प्राइसशॉप बने हैं, तो उसमें रोड डिस्टेंस कम कर पाएं। हम एक उदाहरण दिखा रहे हैं, जो उत्तराखण्ड का है। जहाँ पर पहले हम 7.2 किलोमीटर का रूटले रहे थे, जब हमने उसको टैगिंग की और जिओटैगिंग करके देखा कि उस डिपो के नियरेस्ट कौन-सी फेयर प्राइसशॉप है, तो हमने देखा कि हम एक किलोमीटर से भी कम का रोडडिस्टेंस कर सकते हैं। उसी तरह से, हमने दो तीन स्टेट्स में देखा। हिमाचल प्रदेश में देखा कि ओवलऑलडिस्टेंस 31 परसेंट से 38 परसेंट तक रिड्यूस हो रहाहै, अगर हम इसका रूटऑप्टिमाइज करें, जियोटैगिंग के माध्यम से , और उचित मूल्य की दुकान के निकटतम डिपो को देखना इसी तरह , पंजाब में, तय की गई यात्रा की दूरी में 31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की कमी आई है। पंजाब में 31 से 35 परसेंट है। इस तरहसे, हमने देखा किअगर हम रूटऑप्टिमाइजेशन करतेहैं, तो हम परिवहन की लागत में कम से कम एक तिहाई की कमी का अनुमान लगा रहे हैं। डब्ल्यूएफपीआई, दिल्ली के माध्यम से, यह स्टडी अब पूरे देश में की जारहीहै। हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट की स्टडी हमें इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। हमको जैसे-जैसे स्ट्रीट की रिपोर्ट मिलती जा रहीहै, हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि उन्हें इस मार्ग इष्टतमीकरण अध्ययन को लागू करना चाहिए ताकि परिवहन की लागत , जो अंततः खाद्य सब्सिडी में वृद्धि करती है, को भी काफी हद तक कम किया जा सके।"

4.21 समिति यह नोट करके चिंतित है कि भारतीय खाद्य निगम को मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के परिवहन के (अनलोडिंग /लोडिंग) लिए खाली रेकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की कमी भारतीय खाद्य निगम को सड़क परिवहन चुनने के लिए बाध्य कर सकती है जो कि रेल परिवहन की तुलना में महंगा है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस मुद्दे का समाधान करने के लिए इसे तत्काल रेल मंत्रालय के समक्ष उठाए।

अध्याय पांच

चीनी का प्रबंधन

चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 01 करोड़ किसानों (परिवार के सदस्यों सहित 5 करोड़) और चीनी मिलों में सीधे नियोजित लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। परिवहन, व्यापार, मशीनरी की सर्विसिंग और कृषि आदानों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न सहायक क्रियाकलापों में भी रोजगार सृजित किया जाता है। भारत दुनिया में चीनी और गन्ने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। धान के बाद मूल्य के मामले में गन्ना भारत की दूसरी सबसे बड़ी फसल है।

5.2 चीनी मौसम 2021-22 के दौरान देश में 522 चीनी के कारखाने चालू थे, जिनमें लगभग 370 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन करने की पर्याप्त पेराई क्षमता थी। यह क्षमता, मोटे-तौर पर निजी क्षेत्र की इकाइयों और सहकारी क्षेत्र की इकाइयों के बीच समान रूप से वितरित है। मोटे-तौर पर चीनी मिलों की क्षमता कुल मिलाकर 2,500 टन क्रश्ड प्रतिदिन (टीसीडी) से लेकर 5,000 टीसीडी की सीमा में है, लेकिन इसका तेजी से विस्तार हो रहा है और 10,000 टीसीडी से भी आगे जा रहा है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में देश में तीन स्टैंडअलोन रिफाइनरियां भी स्थापित की गई हैं, जो मुख्य रूप से आयातित कच्ची चीनी और स्वदेशी उत्पाद से बेहतरीन चीनी का उत्पादन करती हैं। देश में प्रचालनरत चीनी मिलों का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्रम संख्या	क्षेत्र	फैक्टरियों की संख्या
1.	सहकारी	197
2.	निजी	317
3.	सार्वजनिक	8
	कुल	522*

* जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में एक रिफाइनरी सहित 3 रिफाइनरियों शामिल हैं, जो उत्पादन आरंभ कर सकती हैं।

क चीनी का उत्पादन

5.3 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि अतीत में , भारत में चीनी का उत्पादन प्रकृति में चक्रीय रहा है। उच्च चीनी उत्पादन के प्रत्येक 3-4 वर्षों के बाद 2-3 वर्षों में कम चीनी उत्पादन हुआ।

चीनी मौसम 2010-11 से चीनी का उत्पादन चीनी मौसम 2015-16 तक देश में घरेलू आवश्यकताओं से अधिक हो गया है। चीनी मौसम 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में सूखे के कारण उत्पादन मांग से कम था। हालांकि , 2017-18 चीनी मौसम के बाद से उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहा है। गन्ने की उन्नत किस्म के कारण गन्ने का उत्पादन/चीनी उत्पादन आने वाले मौसमों में अधिशेष रहने की संभावना है। इस प्रकार , चीनी उत्पादन में चक्रीयता समाप्त हो गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में चीनी के उत्पादन , खपत, मांग, उपलब्धता और कैरी-ओवर स्टॉक , आयात-निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:

2018-19 चीनी मौसम और उसके बाद से चीनी बैलेंस शीट

(लाख टन में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अनुमानित)
पिछले मौसम से चीनी मिलों के पास कैरी-ओवर स्टॉक	105	145	110	85	70*
चीनी का उत्पादन	332 (3 लाख टन की छूट के बाद)	274 (9 लाख टन की छूट के बाद)	310 (24 लाख टन की छूट के बाद)	359 (36 लाख टन की छूट के बाद)	331 (इथेनॉल में लगभग 50 लाख टन डायवर्जन की छूट के बाद)
कुल उपलब्धता	437	419	420	444	401
घरेलू खपत	255	249.40	265	273	275
निर्यात	37	59.60	70	110	61
मौसम के अंत में अनुमानित इतिशेष स्टॉक	145	110	85	61	65

* संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/चीनी निदेशक के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार

5.4 पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ना की खेती का रकबा निम्नानुसार है:

चीनी मौसम	गन्ने की खेती का क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	पिछले चीनी मौसम की तुलना में% वृद्धि/कमी
2018-19	52.34	(+)7.71
2019-20	51.18	(-)2.26
2020-21	54.76	(+)6.53
2021-22	56.66	(+)3.53
2022-23	61.49	(+)8.52

5.5 गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने उल्लेख किया कि किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए, सरकार प्रत्येक चीनी मौसम की शुरुआत से पहले गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा करती है।

5.6 इसके अलावा, मंत्रालय ने अपने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन में चीनी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में निम्नानुसार सूचित किया है:

- **2014 से, एथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों/डिस्टिलरीज द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।**
- **2020-21 तक चीनी मौसम के लिए लगभग 99.9% गन्ने का बकाया चुका दिया गया है। पिछले मौसम 2021-22 के लिए 99 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना बकाया भी चुका दिया गया है।**
- **शीरा आधारित भट्टियों की क्षमता 215 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 700 करोड़ लीटर की गई; और**
- **अनाज आधारित डिस्टिलरियों की क्षमता 206 करोड़ लीटर से बढ़कर 337 करोड़ लीटर हो गई।**
- **5 करोड़ गन्ना किसानों एवं उनके परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।**
- **चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों से जुड़े लगभग 5 लाख श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।**
- **सुधारों के कारण, चीनी क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया है और एथेनॉल उत्पादन इकाइयों के लिए ब्याज छूट योजना को छोड़कर मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार के लिए बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है;**

ख. गन्ना बकाया

5.7 मंत्रालय ने सूचित किया कि वर्ष 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19 और 2017-18 और इससे पहले के चीनी मौसमों के लिए गन्ना मूल्य बकाया (एसएपी/एफआरपी आधार पर जहां भी लागू हो) का राज्यवार विवरण नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है। चीनी मिलों का विगत पांच वर्षों एवं चालू वर्ष का गन्ना मूल्य बकाया का विवरण भी विभाग की वेबसाइट www.dfpd.nic.in. पर उपलब्ध है।

राज्य	चीनी मौसम 2022-23 (करोड़ रुपये में)			पिछले चीनी मौसमों का बकाया (करोड़ रुपये में)				
	गन्ना मूल्य देय	भुगतान किया गया गन्ना मूल्य (% भुगतान किया गया)	गन्ना मूल्य बकाया	2017-18 और इससे पहले	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्तर प्रदेश	14871	10594 (71.2%)	4277	137	0	0	9	1050
महाराष्ट्र	19924	18034 (90.51%)	1890	139	45	0	67	41
कर्नाटक	12772	8829 (69.12 %)	3943	0	4	0	0	0
बिहार	1087	908 (83.53%)	179	18	50	39	4	0
गुजरात	1802	616 (33.96 %)	1186	54	0	0	0	0

पंजाब	1524	833 (54.65 %)	691	0	0	6	6	35
उत्तराखंड	860	512 (59.53 %)	348	34	108	0	0	3
आंध्र प्रदेश	377	300 (79.57%)	77	0	22	36	0	0
तेलंगाना	603	366 (60.69%)	237	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1200	849 (70.75 %)	351	0	73	0	0	2
हरियाणा	1379	790 (57.28%)	589	0	0	0	0	11
मध्य प्रदेश	1122	727 (64.79 %)	395	6	0	0	0	0
छत्तीसगढ	188	73 (38.82 %)	115	0	0	0	0	0
ओडिशा	23	8 (34.78 %)	15	3	0	0	0	0
अखिल भारतीय स्थिति	**57732**	**43439 (75.24 %)**	**14293**	**391**	**302**	**81**	**86**	**1142**

5.8 चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार करने और उन्हें किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए किए गए उपायो के बारे में पूछे जाने पर , मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान किए गए विभिन्न उपाय के बारे में अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं:

I. **चीनी मौसम 2018-19**

1. चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को पेराई के लिए रु. 13.88/क्विंटल गन्ने की विस्तारित सहायता, जो लगभग रु.3000 करोड़ की गन्ने की लागत को ऑफसेट करने के लिए है।
2. चीनी मौसम 2018-19 में देश से चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए आंतरिक परिवहन, माल ढुलाई, हैंडलिंग और अन्य शुल्कों के प्रति खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए चीनी मिलों को विस्तारित सहायता और इस योजना के तहत लगभग 900 करोड़ रुपये की प्रति पूर्ति की गई।
3. गन्ना मूल्य बकाया चुकाने के लिए चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से 7402 करोड़ रुपये का आसान ऋण दिया गया , जिसके लिए सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए 7% की दर से लगभग 518 करोड़ रुपये का ब्याज उपदान वहन किया जा रहा है।

II. चीनी मौसम 2019-20

4. 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए चीनी मिलों के बीच 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक आवंटित किया गया है , जिसके लिए सरकार बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए 1674 करोड़ रुपये की लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।
5. चीनी सीजन 2019-20 में 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर खर्च के लिए चीनी के निर्यात की सुविधा के लिए चीनी मिलों को 10448 रुपये/टन की दर से सहायता प्रदान करना , जिसके लिए सरकार द्वारा 6268 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय वहन किया जा रहा है।

III. चीनी मौसम 2020-21

केंद्र सरकार 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर खर्च के लिए चीनी के निर्यात की सुविधा के लिए चीनी मिलों को 6000 रुपये/टन की दर से सहायता प्रदान कर रही है , जिसके लिए 3500 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

5.9 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि देश गत कई वर्षों से घरेलू आवश्यकता से अधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है, जिससे न केवल पर्याप्त चीनी आपूर्ति सुनिश्चित हुई है बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। समिति यह भी नोट करती है कि अतिरिक्त चीनी की उपलब्धता के कारण , सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी सीजन 2019-20 के लिए किसानों के अखिल भारतीय गन्ना मूल्य की बकाया राशि में कमी आई है और लगभग 75,845 करोड़ रुपए के कुल गन्ना बकाया में से लगभग 75,764 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और ,15.02.2023 की स्थितिनुसार केवल 81 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया लंबित है। इसी प्रकार चीनी मौसम 2020-21 एवं 2021-22 के कुल देय 93,075 करोड़ रुपये और 1,18,271 करोड़ रुपये के गन्ना बकाया में से क्रमशः केवल 86 करोड़ और 1,141 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया ही लंबित है। चालू चीनी मौसम 2022-23 (15.2.2023 की स्थितिनुसार के दौरान कुल (60,607 करोड़ रुपये की राशि के गन्ना बकाया में से केवल 46,155 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है और 14,452 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। किसानों को गन्ने के समय से भुगतान के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए ,

समिति चाहती है कि विभाग इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखे और समय पर तथा समुचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी)) घोषित करके किसानों को अधिक गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रेरित करे नकदी फसलों के साथ समान रूप/ताकि गन्ना अन्य खाद्य ,से प्रतिस्पर्धी फसल बना रहे जिससे उसके निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

ग. **इथेनाल सम्मिश्रण कार्यक्रम**

5.10 मंत्रालय ने इथेनाल सम्मिश्रण कार्यक्रम के बारे में निम्नवत उल्लेख किया:

" विगत 4 वर्षों से भारत अपनी खपत से अधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है। सामान्य वर्षों में औसत चीनी का उत्पादन लगभग 320 -360 लाख टन है जबकि घरेलू खपत लगभग 260-280 लाख टन है, जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 60 लाख टन का अधिशेष स्टॉक रहता है। इस अतिरिक्त उत्पादन ने अधिकता की समस्या उत्पन्न की है जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति प्रभावित हुई और परिणामस्वरूप किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान प्रभावित हुआ।

केंद्र सरकार ने अपनी राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 (जून 2022 में संशोधित) में, 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 10% और 2025 तक 20% के सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंग) को अनिवार्य बना दिया। देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु, खाद्य और सार्वजनिक विभाग ने समय-समय पर नई डिस्टलरी परियोजना की स्थापना के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज छूट के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अधिसूचित किया और शून्य तरल निर्वहन प्रणाली के साथ मौजूदा क्षमता का विस्तार किया।

अत्यधिक चीनी की समस्या को दूर करने और सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंग) लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एक स्थायी समाधान खोजने के लिए, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न इथेनॉल ब्याज छूट योजनाओं का आरंभ किया गया है जिससे कि चीनी और अनाज आधारित डिस्टिलरियों को प्रोत्साहन प्राप्त हो, जिससे उनकी डिस्टीलेशन क्षमता में वृद्धि हो जिसके लिए सरकार उन्हें 6% की दर से ब्याज छूट के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है अथवा एक वर्ष का अधिस्थगन सहित पाँच वर्षों की अवधि के लिए

बैंकों द्वारा लिए गए ब्याज का 50%, इनमें से जो भी कम हो , सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 3974 करोड़ लीटर क्षमता के साथ कुल 1132 इथेनॉल परियोजनाओं (नई डिस्टलरी की स्थापना के साथ-साथ विस्तार दोनों) तथा लगभग 1,04,237 करोड़ रुपये का अपेक्षित ऋण का अनुमोदन किया गया है (2018-21 से अधिसूचित की गई योजनाओं में 857 और दिनांक 22.04.2022 को अधिसूचित की गई नई योजना में 281)। इस योजनाओं के अंतर्गत, 935 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता सृजन के साथ 233 परियोजनाओं के लिए लगभग 19,495 करोड़ रुपये की राशि के ऋण को स्वीकृत किया गया है। 9970 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण में से लगभग 722 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता के साथ 203 परियोजनाओं को संवितरित किया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक विभाग एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा भी प्रदान कर रहा है, जिसमें चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों को प्राधिकारियों से आसानी से ऋण/अनुमति आदि प्राप्त हो सकें। एक अलग पोर्टल sugarethanol.nic.in शुरू किया गया है जिसमें प्रत्येक एथेनॉल परियोजना की प्रगति को वास्तविक समय प्रणाली के आधार पर ट्रैक किया जा रहा है और साथ ही उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से एथेनॉल के उत्पादन की प्रगति की निगरानी की जा रही है।

वर्ष 2013 में, शीरा आधारित डिस्टिलरियों की एथेनॉल आसवन (डिस्टलेशन) क्षमता केवल 215 करोड़ लीटर थी। हालांकि, विगत 9 ½ वर्षों में केंद्र सरकार की रचनात्मक नीतियों के कारण, शीरा आधारित डिस्टिलरियों की क्षमता लगभग तीन गुना हो गई है और वर्तमान में यह 682 करोड़ लीटर है। अनाज आधारित क्षमता में भी वर्ष 2019 में 258 करोड़ लीटर से नवंबर 2022 के अंत तक 337 करोड़ लीटर हुई है। इस प्रकार, देश में एथेनॉल उत्पादन की कुल मौजूदा क्षमता लगभग 1019 करोड़ लीटर है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में, पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण चीनी की अधिकता की समस्या को दूर करने और सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के लिए के लिए केवल 1.53% के सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंग) स्तर के साथ तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को एथेनॉल की आपूर्ति केवल 38 करोड़ लीटर थी। ईंधन ग्रेड एथेनॉल का उत्पादन और तेल विपणन कंपनियों को इसकी आपूर्ति वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक लगभग 11 गुना बढ़ गई है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2021-22 में, हमने ऐतिहासिक रूप से लगभग 408 करोड़ लीटर एवं लगभग 433 करोड़ लीटर के एथेनॉल को पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंड) करते हुए की आपूर्ति को, 10.02 % सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंग) के उच्च आंकड़े को प्राप्त किया।

वर्तमान एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2022-23 (दिसंबर-अक्तूबर) में, यह उम्मीद की जाती है कि 12% सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंग) के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को लगभग 524 करोड़ लीटर (11 माह में) एथेनॉल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार 2025 तक 20% सम्मिश्रण (ब्लेन्डिंग) लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है, जिससे कच्चे तेल के आयात बिल के कारण अधिक विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी, परिणामस्वरूप ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा। "

5.11 मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडिंग में वृद्धि और भावी लक्ष्यों में सरकारी नीतियों के प्रभाव के बारे में पावरप्वाईंट प्रस्तुति में निम्नवत सूचित किया:

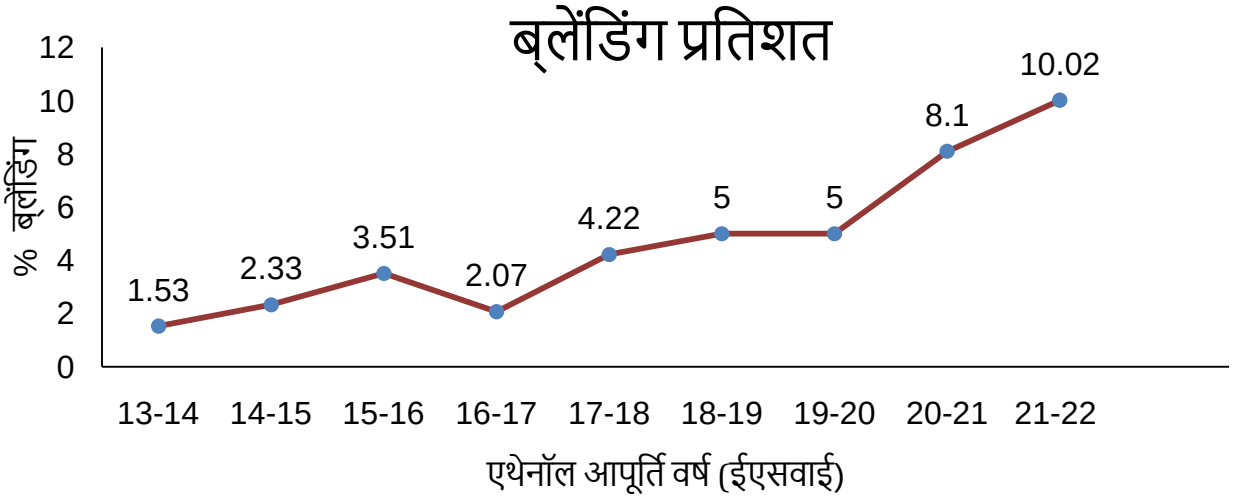

- **वर्ष 2022-23 में ब्लेंडिंग का लक्ष्य 12%:**
- **वर्ष 2023-24 में ब्लेंडिंग का लक्ष्य 15%**
- **वर्ष 2025 से 20% ब्लेंडिंग**

5.12 चीनी और इथेनॉल उत्पादन के लिए सहायता के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"चीनी क्षेत्र को समर्थन देने और गन्ना किसानों के हित में सरकार ने बी-हैवी शीरे, गन्ने के रस, चाशनी और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है। सरकार एफसीआई के पास उपलब्ध, मक्का और चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए डिस्टिलरियों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

सरकार सी-हैवी और बी-हैवी शीरे से प्राप्त इथेनॉल, गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप से प्राप्त इथेनॉल, भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्धो मक्का और अनाज जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से उत्पादित इथेनॉल का लाभकारी मिल द्वार मूल्य भी तय कर रही है। वर्तमान ईएसवाई 2022-23 (दिसंबर-अक्टूबर) के विभिन्न फीड-स्टॉक्स से प्राप्तक इथेनॉल की कीमतें निम्नानुसार हैं:

(प्रति लीटर में रुपए)

फ़ीड स्टॉक	**ईएसवाई 2022-23 (दिसम्बमअक्तू3बर**
गन्ने का रस	65.61
बी- हेवी शीरा	60.73
सी- हेवी शीरा	49.41
क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	55.54
एफसीआई से चावल	58.50
मक्का	56.35

इसके अलावा, वास्तविक के अनुसार जीएसटी एवं परिवहन व्य-य भी देय होगा।

नोट: गन्ने के रस, बी-हैवी और सी-हैवी शीरे से प्राप्तन इथेनॉल की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है जबकि क्षतिग्रस्त खाद्यान्न/भारतीय खाद्य निगम के चावल/मक्का से प्राप्त इथेनॉल की कीमतें तेल विपणन कम्प नियों द्वारा तय की जाती हैं।

चीनी मौसम 2019-20 और 2020-21 में लगभग 9.26 लाख टन और 22 लाख टन चीनी को इथेनॉल में बदल दिया गया। पिछले चीनी मौसम 2021-22 में, लगभग 36 लाख टन अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल में बदल दिया गया था। वर्तमान ईएसवाई 2022-23 (दिसंबर-अक्तूबर) में, यह उम्मीद की जाती है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 45-50 लाख टन चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा। ईबीपी कार्यक्रम के तहत निर्धारित 20% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए , 2025 तक लगभग 60 लाख टन चीनी को डायवर्ट किया जाएगा, जो चीनी की अत्यायधिक मात्रा की समस्या को हल करेगा, मिलों की तरलता में सुधार करेगा जिससे किसानों के गन्ने के बकाये का समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, चीनी मौसम 2019-20 के लिए किसानों के कुल 75,845 करोड़ रुपये के अखिल भारतीय गन्ना मूल्य बकाया, में से लगभग 75,764 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 15.02.2023 तक गन्ना बकाया केवल 81 करोड़ रुपये लंबित हैं। चीनी मौसम 2020-21 के लिए 93,075 करोड़ रुपये की राशि देय कुल गन्ना बकाया में से लगभग 92,989 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है

और 15.02.2023 तक केवल 86 करोड़ रुपये लंबित हैं। चीनी मौसम 2021-22 के लगभग 1,18,271 करोड़ रुपये के कुल गन्ना बकाया में से लगभग 1,17,130 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 15.02.2023 तक 1,141 करोड़ रुपये लंबित हैं। चालू चीनी मौसम 2022-23 के दौरान कुल देय रु. 60,607 करोड़ रुपये की राशि (15.02.2023 तक) मे से 46,155 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 14,452 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है।

5.13 समिति नोट करती है कि विगत आठ वर्षों में , नीतिगत परिवर्तनों और सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों के कारण , शीरा आधारित मद्यशालाओं की क्षमता लगभग तिगुनी हो गई है- और वर्तमान में यह639 करोड़ लीटर है। वर्तमान में अनाज आधारित मद्यशालाओं की क्षमता लगभग 328 करोड़ लीटर है। समिति का मानना है कि इथेनॉल के अधिक उत्पादन से न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी अपितु इससे गन्ना किसान अपनी उत्पादन बढ़ाने और चीनी मिलों को अपनी चलनिधि बनाए रखने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए , समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय गन्ना किसानों की सहायता करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखेगा जिससे इथेनॉल और चीनी का उत्पादन बढ़ेगा ; और अंततः राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-, 2018 के अनुसार 2025 तक मोटर ईंधन में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति।

<u>पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की खरीद का विवरण नीचे दिया गया है।</u>

<u>गेहूँ की खरीद</u>

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	राज्यं/संघ राज्यह क्षेत्र	आरएमएस 2018-19	आरएमएस 2019-20	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22	आरएमएस 2022-23
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.18	0.03	0.05	4.56	0.04
4	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	0.37	0.05	0.77	1.71	0.00
6	हरियाणा	87.84	93.20	74.00	84.93	41.86
7	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.03	0.13	0.03
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
9	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मध्या प्रदेश	73.13	67.25	129.42	128.16	46.03
12	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
13	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	पंजाब	126.92	129.12	127.14	132.22	96.45
15	राजस्थान	15.32	14.11	22.25	23.40	0.10
16	उत्त0र प्रदेश	52.94	37.00	35.77	56.41	3.36
17	उत्तराखंड	1.10	0.42	0.38	1.44	0.02
18	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	अन्य	0.14	0.13	0.11	0.23	0.03
कुल		357.95	341.32	389.92	433.44	187.92

चावल की खरीद

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	राज्यं/संघ राज्यह क्षेत्र	आरएमएस 2018-19	आरएमएस 2019-20	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22	आरएमएस 2022-23
1	आंध्र प्रदेश	48.06	55.33	56.66	44.61	19.66
2	तेलंगाना	51.90	74.54	95.25	73.94	41.68
3	असम	1.03	2.11	1.42	3.79	0.99
4	बिहार	9.49	13.41	23.84	30.09	18.48
5	छत्तीसगढ	39.71	50.53	47.62	61.65	61.64
6	गुजरात	0.09	0.14	0.74	0.82	1.18
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.18	0.09
8	हरियाणा	39.41	43.07	37.89	37.06	39.51
9	झारखंड	1.53	2.55	4.28	5.12	0.61
10	जम्मू और कश्मीर	0.09	0.10	0.26	0.27	0.23
11	कर्नाटक	0.59	0.41	1.38	1.46	0.00
12	केरल	4.65	4.83	5.20	5.09	1.34
13	मध्या प्रदेश	13.95	17.40	24.97	30.70	30.93
14	महाराष्ट्र	5.80	11.67	12.72	12.27	8.67
15	ओडिशा	44.47	47.98	52.58	48.31	30.94
16	पुदुच्चे री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	पंजाब	113.34	108.76	135.89	125.48	121.91
18	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
19	एनईएफ (त्रिपुरा)	0.07	0.14	0.16	0.39	0.25
20	तमिलनाडु	12.94	22.04	30.53	18.76	2.79
21	उत्त6र प्रदेश	32.33	37.90	44.78	43.91	40.53
22	उत्तराखंड	4.62	6.82	7.18	7.74	6.00
23	पश्चिम बंगाल	19.79	18.38	18.90	24.01	7.27
24	अन्य	0.13	0.15	0.19	0.18	0.13
कुल		443.99	518.26	602.45	575.88	434.83

केएमएस 2022-23 प्रगति पर है। आंकड़े 31.01.2023 तक रिपोर्ट किए गए हैं।

अनुलग्नक II

डीसीपी/गैर-डीसीपी राज्यों में गेहूं की खरीद

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्यं/ संघ राज्यी क्षेत्र	आरएमएस 2018-19	आरएमएस 2019-20	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22	आरएमएस 2022-23
डीसीपी राज्य						
1	गुजरात	0.37	0.05	0.77	1.71	0.00
2	पंजाब	126.92	129.12	127.14	132.22	96.48
3	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मध्य प्रदेश	73.13	67.25	129.42	128.16	46.03
5	उत्तराखंड	1.10	0.42	0.38	1.44	0.02
6	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	बिहार	0.18	0.03	0.05	4.56	0.04
8	महाराष्ट्र				0.01	0.00
कुल डीसीपी		201.70	196.87	257.76	268.10	142.57
(कुल का% हिस्सा)		56.35%	57.68%	66.11%	61.85%	75.87%
गैर-डीसीपी राज्य						
1	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	चंडीगढ़	0.14	0.13	0.11	0.17	0.00
3	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
4	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.03	0.13	0.03
5	हरियाणा	87.84	93.20	74.00	84.93	41.86
6	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	राजस्थान	15.32	14.11	22.25	23.40	0.10
8	उत्त र प्रदेश	52.94	37.00	35.77	56.41	3.36
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-डीसीपी कुल		156.25	144.45	132.16	165.34	45.35
(कुल का% हिस्सा)		43.65%	42.32%	33.89%	38.15%	24.13%
कुल योग		357.95	341.32	389.92	433.44	187.92

अनुलग्नक III

डीसीपी/गैर-डीसीपी राज्यों में चावल की खरीद

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्यं/केंद्र शासित प्रदेश	डीसीपी / गैर-डीसीपी	केएमएस 2018-19	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23$
	डीसीपी स्टेट्स						
1	आंध्र प्रदेश	डीसीपी	48.06	55.33	56.66	44.61	19.66
2	तेलंगाना	डीसीपी	51.90	74.54	95.25	73.94	41.68
3	छत्तीसगढ़	डीसीपी	39.71	50.53	47.62	61.65	61.64
4	कर्नाटक	डीसीपी	0.59	0.41	1.38	1.46	0.00
5	केरल	डीसीपी	4.65	4.83	5.20	5.09	1.34
6	मध्य प्रदेश	डीसीपी	13.95	17.40	24.97	30.70	30.93
7	ओडिशा	डीसीपी	44.47	47.98	52.58	48.31	30.94
8	तमिलनाडु	डीसीपी	12.94	22.04	30.53	18.76	2.79
9	उत्तराखंड	डीसीपी	4.62	6.81	7.18	7.74	6.00
10	पश्चिम बंगाल	डीसीपी	19.79	18.38	18.90	24.01	7.27
11	बिहार	डीसीपी	9.49	13.41	23.84	30.09	18.48
12	महाराष्ट्र	डीसीपी	5.80	11.67	12.72	12.27	8.67
13	त्रिपुरा	डीसीपी	0.00	0.06	0.16	0.39	0.25
14	गुजरात	डीसीपी	0.09	0.14	0.74	0.82	1.18
	कुल डीसीपी		256.06	323.53	377.74	359.84	230.83
	कुल का% हिस्सा		57.67%	62.43%	62.70%	62.49%	53.09%
	गैर डीसीपी राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	तेलंगाना	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	गैर-डीसीपी	1.03	2.11	1.42	3.79	0.99
4	बिहार*	गैर डीसीपी			0.00	0.00	0.00
5	चंडीगढ़	गैर-डीसीपी	0.13	0.15	0.19	0.18	0.13
6	दिल्ली	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	गैर-डीसीपी	39.41	43.07	37.89	37.06	39.51
9	हिमाचल प्रदेश	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.18	0.09
10	झारखंड	गैर-डीसीपी	1.53	2.55	4.28	5.12	0.61
11	जम्मू और कश्मीर	गैर-डीसीपी	0.09	0.10	0.26	0.27	0.23
13	नागालैंड	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	पंजाब	गैर-डीसीपी	113.34	108.76	135.89	125.48	121.91
14	राजस्थान	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
15	उत्त प्रदेश	गैर-डीसीपी	32.33	37.90	44.78	43.91	40.53
16	पुदुच्चे री	गैर-डीसीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गैर-डीसीपी कुल		187.93	194.73	224.71	216.04	204.00
	कुल का% अंश		42.33%	37.57%	37.30%	37.51%	46.91%
	सकल योग		443.99	518.26	602.45	575.88	434.83

$ केएमएस 2022-23 प्रगमति पर हैआंकड़े 31.01.2023 तक है।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1100 बजे से 1250 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री खगेन मुर्मू
4. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
5. डॉ. अमर सिंह
6. श्रीमती कविता सिंह
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री राजमोहन उन्नीथन
9. श्री वी. वैथीलिंगम

राज्य सभा

10. श्री बाबूराम निषाद
11. सुश्री दोला सेन
12. डॉ. अशोक बाजपेयी

सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने, अनुदानों की मांगों 2023-24 के संबंध में जांच करने के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य सार्वजनिक विवतरण विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष के लिए बुलाई गई बैठक में स्वागत किया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य सार्वजनिक और वितरण विभाग) के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री संजीव चोपड़ा	सचिव (खाद्य व सार्वजनिक वितरण)
2.	श्री अशोक के.के. मीना	मुख्य प्रबंध निदेशक (भारतीय खाद्य निगम)
3.	श्री अमित कुमार सिंह	एमडी,सीडब्ल्यूडी
4.	श्री टी के मनोज कुमार	अध्यक्ष, डब्ल्यूडीआरए
5.	श्री धीरज साहू	सयुक्त सचिव, डब्ल्यूडीआरए
6.	श्री शान्तामनु	एएस&एफए
7.	श्री सुबोध कुमार सिंह	एएस (चीनी/नीति और भारतीय खाद्य निगम/भंडारण और पीजी/प्रशा☺
8.	श्रीमती ममता शंकर	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
9.	श्री राजेन्द्र कुमार	सयुक्त सचिव इंपैक्स और आईसी
10.	श्री ध्रुव कुमार सिंह	सीसीए
11.	श्रीमती वनीता आर शर्मा	ईडी (वित्त/सिलो/आईटी)
12.	श्री सीएल राम	ईडी(टी/एस और सी/पी और आर/पीआर/क्यूसीआई)
13.	श्री बिजय कुमार सिंह	ईडी(कार्मिक/आरटीआई/अभियांत्रिक)
14.	श्री के एमएस खाल्सा	निदेशक (वित्त)

(तत्पश्चात साक्षियों को बुलाया गया)

3. तत्पश्चात्, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इसके बाद माननीय सभापति ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया और कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निदेश 55 में निहित प्रावधानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

4. माननीय सभापति ने अपने स्वागत भाषण में साक्षियों से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने का अनुरोध किया जैसे कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण, एफसीआई/राज्य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन, इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और वृद्धि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के लिए सब्सिडी, विकेन्द्रीकृत खरीद योजना और एफसीआई की श्रम नीति, 1 जनवरी, 2023 से सभी अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना का विवरण, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम पर इथेनॉल पर सीमा शुल्क की छूट का प्रभाव जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषित किया था और भारत को मिलेट्स के लिए वैश्विक हब यानी "श्री अन्ना" बनाने के लिए रोडमैप तैयार करना।

5. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों ने सभापति की अनुमति से विभाग के प्रमुख कार्यों, पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय की तुलना में बजट आवंटन और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योजना-वार आवंटन, वर्तमान खरीद परिदृश्य, गेहूं और चावल की केंद्रीय पूल बैलेंस शीट, ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। 2023, कैप भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, चीनी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम, सरकारी नीतियों का प्रभाव- इथेनॉल सम्मिश्रण में वृद्धि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), ओएनओआरसी के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी लेनदेन, प्रस्तावित स्मार्ट-पीडीएस, स्मार्ट पीडीएस के उद्देश्य, टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजना के अंतर्गत फोर्टिफिकेशन का चावल और इसका वितरण, चावल फोर्टिफिकेशन पहल पर कार्यान्वयन की प्रगति। उचित दर दुकान (एफपीएस) परिवर्तन, मिलेट्स (श्री अन्ना) को बढ़ावा देना, के एम एस 2021-22 और 2022-23 के दौरान मिलेट्स की खरीद और वितरण आदि को बढ़ाने के लिए नीतिगत पहलें..

6. सचिव ने समिति को विभाग की अनुदान मांगों (2023-24) के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित उनके द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, गोदामों का निर्माण, डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी, चावल की रीसाइक्लिंग और गेहूं के वियमन, 2025 से 20% इथेनॉल सम्मिश्रण से संभावित लाभ, कोविड-19 संकट आदि के लिए खाद्य सुरक्षा प्रतिक्रिया आदि जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई।

7. इसके बाद समिति ने 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन, के संबंध में विभाग की अनुदान मांगों (2023-24) से संबंधित मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे। एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), पीडीएस संचालन का सुदृढ़ीकरण, पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन, चावल खरीद, चावल रीसाइक्लिंग का मामला, 'श्री अन्ना' के बारे में जागरूकता और एससी/एसटी के लिए विशिष्ट योजना आदि।

8. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए और समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया और विभाग को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिनके संबंध में जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

9. साक्ष्य पूरा हुआ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सोमवार, 13 मार्च, 2023 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1540 बजे तक समिति कक्ष संख्या '3', ब्लॉसक-ए , संसदीय सौध विस्ताार नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. सुश्री देबाश्री चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री खगेन मुर्मू
6. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
7. श्री जी. सेल्वम
8. डॉ. अमर सिंह
9. श्रीमती हिमाद्री सिंह
10. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
11. श्री राजमोहन उन्नीथन
12. श्री वी. वैथीलिंगम

राज्य सभा

13. श्री सतीश चंद्र दूबे
14. डा. फौजिया खान
15. श्री एम. शनमुगम
16. सुश्री दोला सेन

सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने, अनुदानों की मांगों 2023-24 के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदनों क्रमश: (एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और (दो) *** **** **** ****विचार करने और स्वीकार करने के लिए बुलाई गई बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने दो प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु लिया:-

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अनुदानों की मांगें (2023-24) और

(दो) **** **** ***** *****

4. समिति ने कुछ विचार विमर्श के पश्चात् दोनों प्रारूप प्रतिवेदनों को कुछ संशोधन/परिवर्तन के स्वीकार किया।

5. तत्पश्चात् समिति ने मामनीय सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

6. इसके बाद, समिति ने वर्तमान बजट सत्र की समाप्ति के पश्चात् तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

****यह विषय प्रतिवेदन से सम्बन्धित नहीं है।

परिशिष्ट तीन-

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशेंटिप्पणियाँ/

क्रम संख्या	पैरा संख्या	सिफारिश
1	राजकोषीय अनुशासन 2.9	समिति नोट करती है कि पूंजीगत खंड के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 12029.67 करोड़ रुपये का है जो संशोधित अनुमान स्तर पर समान रहा , लेकिन 24.02.2023 तक 11953.09 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ है जो कि संशोधित अनुमान का 99.36% है। समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय में फरवरी , 2023 तक लगभग पूरे आवंटन का उपयोग कर लिया है। इसके अलावा , मंत्रालय वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अंतिम तिमाही में व्यय को 33% की निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफल रहा है। मंत्रालय की वित्तीय दूरदर्शिता की सराहना करते हुए, समिति आशा करती है कि मंत्रालय भविष्य में भी राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखेगा।
2	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में तेजी लाने हेतु 2.10	समिति नोट करती है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) बड़ी संख्या में लंबित हैं। उदाहरण के लिए , भंडारण और गोदामों के लिए चलाई जा रही केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और एफसीआई से क्रमशः 10.24 करोड़ रुपये और 5.98 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया हैं। समिति नोट करती है कि विभिन्न राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होना एक आवर्ती समस्या बनी हुई है , जिसके परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा विभिन्न

		योजनाओं/परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों को आवंटित शेष धनराशि जारी नहीं की जा रही है। इसके कारण परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने में देरी हो सकती है। इसलिए समिति उन परियोजनाओं/योजनाओं के बारे में जानना चाहती है जिनमें विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न कराए जाने के कारण मंत्रालय द्वारा आगे की फंडिंग रोके जाने के कारण पूरी नहीं की जा सकीं। समिति आगे नोट करती है कि मंत्रालय/एफसीआई संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहा है , इसलिए समिति का सुझाव है कि इस मामले को राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ उठाया जाए और उन के मध्यम से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए।
3	मिलेट की खरीद और उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु 3.14	समिति पाती है कि मोटे अनाज/मिलेट की खरीद , आवंटन, वितरण और निपटान के दिशानिर्देशों के अनुसार , राज्यों को उनके द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना पर भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर केंद्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटे अनाज/मिलेट (ज्वार , बाजरा, मक्का और रागी आदि) की खरीद करने की अनुमति है। खरीदी गई मात्रा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली)/ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के अंतर्गत वितरित की जाएगी। इसके अलावा, यह बताया गया कि विभाग ने राज्य एजेंसियों/ भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए मोटे अनाज के आवंटन , वितरण और निपटान के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और पहले की वितरण अवधि 3 महीने को बढ़ाकर 6-10 महीने कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अधिशेष मिलेट के अंतर-

		राज्यीय परिवहन के लिए अग्रिम सब्सिडी का प्रावधान भी शामिल किया गया है। विभाग ने यह भी बताया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा मिलेट का प्रचार-प्रसार विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के समन्वय से किया जा रहा है और विभाग की भूमिका केवल उन्हें खरीदने तथा पीडीएस , एमडीएम योजना और एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए वितरित करने तक ही सीमित है। समिति, यह समझती है कि मिलेट सदियों से हमारे आहार का एक अभिन्न अंग रहा है और ढेर सारे स्वास्थ्य लाभों के अलावा, मिलेट कम पानी और कम आगत के चलते पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि मिलेट के स्वास्थ्य लाभ और पौष्टिक मूल्य के संबंध में उपभोक्ताओं और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है , जिससे इसके उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी राज्यों विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि जैसे महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले राज्यों में मिलेट के उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित करे और बाजरा उगाने का विकल्प चुनने वाले किसानों को हर संभव राजसहायता/सहायता/बोनस प्रदान करवाए। इसी तरह , गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन वाले राज्यों से गेहूं और चावल की खरीद बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा , मिलेट की खपत को प्रोत्साहित करने के क्रम में, समिति आगे सुझाव देती है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनकी निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल के साथ मिलेट लेने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए।
4	प्रस्तावित स्मार्ट पीडीएस के कार्यान्वयन	समिति नोट करती है कि खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की नीति का एक

	में तेजी लाने हेतु 3.18	महत्वपूर्ण हिस्सा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली; केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी से संचालित होती है। समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधारों द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करती है। मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने करने के क्रम में स्मार्ट-पीडीएस के उद्देश्यों; पीडीएस सॉफ्टवेयर-एज-सर्विस (सास) ; रोबस्ट एंड स्केलेबल क्लाउड आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ; डेटा एनालिटिक्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की मेनस्ट्रीमिंग ; पीडीएस के लिए ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म और मौजूदा प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों की स्थिरता की जानकारी दी। इस प्रस्तावित स्मार्ट-पीडीएस योजना में , सभी प्रक्रियात्मक चरण यथा खाद्यान्न की खरीद , इसे डिपो और केंद्रीय पूल में भेजना, एनएफएसए के लिए आवंटन और एफपीएस द्वारा वितरण पूर्णतया स्वचालित होगा। इसलिए समिति महसूस करती है कि स्मार्ट पीडीएस प्रौद्योगिकी और पारंपरिक वितरण प्रणाली का संयोजन है जो न केवल पीडीएस में पारदर्शिता लाएगा अपितु कुशल निगरानी और वितरण में तेजी लाने में भी मदद करेगा। समिति आशा करती है कि राशन कार्ड प्रबंधन से लेकर एफपीएस में अंतिम मील वितरण तक संपूर्ण पीडीएस संचालन के लिए एक अग्रिम, मानक और स्केलेबल 'सास' समाधान शीघ्रता से विकसित किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र लागू की जाए।
5	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण 3.27	समिति नोट करती है कि अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण क्रियान्वित किया जा चुका है। नेटवर्क संबंधी समस्या के कारण अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मणिपुर में इसका कार्यान्वयन अभी भी पूरा किया जाना शेष है। इसके अलावा, यह गतिविधि चंडीगढ़

		और पुडुचेरी में लागू नहीं है , क्योंकि डीबीटी नकद दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई है। इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में नेटवर्क से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न हो पाने के आधार पर पात्र परिवार खाद्यान्न की वैध हकदारी से वंचित न रहे।
6	उचित दर दुकानों में परिवर्तन 3.28	समिति नोट करती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9(9) के अनुसार , राज्य सरकारें उचित दर दुकानों (एफपीएस) के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के क्रम में, उन्हें खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति दे सकती हैं। मंत्रालय ने एफपीएस की आर्थिक व्यवहार्यता की आवश्यकता को पहचानते हुए, लाभार्थी अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। समिति इस बात की सराहना करती है कि डीएफपीडी उचित दर दुकानों के माध्यम से अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कराने के लिए अन्य विभागों, सेवा प्रदाताओं और निजी हितधारकों के साथ साझेदारी और समन्वय की सुविधा प्रदान कर रहा है। ~ 40,000 एफपीएस को सीएससी के रूप में जोड़ा गया है और उचित दर दुकानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसी तरह के प्रयास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के साथ किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ये दुकानें लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के साथ-साथ आधार और पैन कार्ड के लिए पंजीकरण, ट्रेन टिकटों की बुकिंग, बैंक बैलेंस पता करने और विभिन्न योजनाओं की पात्रता से संबंधित जानकारी देने जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करेंगी। समिति का सुझाव है कि समयबद्ध तरीके से सभी उचित दर दुकानों को शामिल करने

		की पहल का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। समिति उचित दर दुकानों में परिवर्तन करने के लिए तैयार किए गए रोडमैप से भी अवगत होना चाहती है। इसके अलावा, समिति परियोजना को अविलंब पूरा करने के लिए राज्यों को गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने की संभावना तलाशने का भी सुझाव देती है।
7	विभिन्न मंत्रालयों की बकाया देयराशि और देनदारियां 4.5	समिति पाती है कि भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भुगतान के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी से यह पता चलता है कि विभिन्न मंत्रालयों पर भारी राशि बकाया है। समिति महसूस करती है कि विभिन्न मंत्रालयों से बकाया राशि की वसूली का मामला लंबित मामलों में से एक है। समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश भी की थी कि विभाग को लंबित राशि की वसूली के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। इसलिए विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह मामले को विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर उठाए।
8	गोदामों के संनिर्माण के वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति न होना 4.15	समिति यह नोट करके चिंतित है कि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, केरल और झारखंड में गोदामों के संनिर्माण का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य 10020 मीट्रिक टन का था , लेकिन इसकी उपलब्धि (31.12.2022 की स्थितिनुसार) केवल 6400 मीट्रिक टन रही। वर्ष 2022-23 के दौरान, निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 60 करोड़ रुपए था, लेकिन उपलब्धि केवल 20.52 करोड़ रुपये की रही। इसी प्रकार से, हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 6620 मीट्रिक टन का था लेकिन

		उपलब्धि (31.12.2022 की स्थितिनुसार) केवल 2240 मीट्रिक टन रही। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड आदि के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धियों में हुई प्रगति से यह पता चलता है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना काफी कम है। **मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण और गोदामों" के मामले में, राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है, जिसमें काफी समय लगता है। इसके साथ ही , पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश की कठोर स्थलाकृतिक स्थितियां और खराब मौसम काम की धीमी प्रगति के मुख्य कारण हैं। समिति का मत है कि ये कारक सर्वविदित हैं और योजना बनाते समय पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की इन कठोर वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और तदनुसार, योजनाओं की कार्यान्वयन कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए थी। अत: समिति मंत्रालय से इन मुद्दों का समाधान करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करती है।** **जम्मू और कश्मीर , अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत कोई गोदाम नहीं बनाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि उनके पास मिनी गोदामों के निर्माण की कोई योजना नहीं है। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने के संबंध में समिति का मानना है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए पहले ही से आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में, समिति ने मंत्रालय को मिनी गोदामों के निर्माण की**

		संभावना तलाशने का सुझाव दिया।
9	जूट की बोरियों की खरीद 4.17	समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के समक्ष जूट उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी जूट बैगों की खरीद की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा , यह भी बताया गया कि बीआईएस के सहयोग से वे 75% जूट में 25% मिश्रण करके स्मार्ट जूट बैग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जूट बैग की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसकी उपयोग अवधि बढ़ेगी। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए टिकाऊ और स्थानीय रूप से उत्पादित जूट बैग बनाने की दिशा में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि विभाग खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए जूट बैग का उपयोग करने की प्रथा को जारी रखे और स्मार्ट जूट के थैले को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी लाए, ताकि; स्मार्ट जूट के थैलों का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र आरंभ किया जा सके।
10	खाद्यान्नों के परिवहन के लिए खाली रेकों की कमी 4.21	समिति यह नोट करके चिंतित है कि भारतीय खाद्य निगम को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के परिवहन (लोडिंग/ अनलोडिंग) के लिए खाली रेकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की कमी भारतीय खाद्य निगम को सड़क परिवहन चुनने के लिए बाध्य कर सकती है जो कि रेल परिवहन की तुलना में महंगा है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस मुद्दे का समाधान करने के लिए इसे तत्काल रेल मंत्रालय के समक्ष उठाए।
11	किसानों को गन्ने का अधिक उत्पादन करने	समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि देश गत कई वर्षों से घरेलू आवश्यकता से अधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है , जिससे न केवल पर्याप्त चीनी आपूर्ति सुनिश्चित हुई है बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। समिति यह भी नोट करती है कि

	के लिए प्रेरित करना 5.9	अतिरिक्त चीनी की उपलब्धता के कारण, सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी सीजन 2019-20 के लिए किसानों के अखिल भारतीय गन्ना मूल्य की बकाया राशि में कमी आई है और लगभग 75,845 करोड़ रुपए के कुल गन्ना बकाया में से लगभग 75,764 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, और 15.02.2023 की स्थितिनुसार केवल 81 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया लंबित है। इसी प्रकार चीनी मौसम 2020-21 एवं 2021-22 के कुल देय 93,075 करोड़ रुपये और 1,18,271 करोड़ रुपये के गन्ना बकाया में से क्रमशः केवल 86 करोड़ और 1,141 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया ही लंबित है। चालू चीनी मौसम 2022-23 (15.2.2023 की स्थितिनुसार) के दौरान कुल 60,607 करोड़ रुपये की राशि के गन्ना बकाया में से केवल 46,155 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है और 14,452 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। किसानों को गन्ने के समय से भुगतान के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए , समिति चाहती है कि विभाग इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखे और समय पर तथा समुचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) घोषित करके किसानों को अधिक गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रेरित करे, ताकि गन्ना अन्य खाद्य/नकदी फसलों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धी फसल बना रहे जिससे उसके निर्यात को बढ़ावा मिल सके।
12	20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास	समिति नोट करती है कि विगत आठ वर्षों में , नीतिगत परिवर्तनों और सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों के कारण, शीरा-आधारित मद्यशालाओं की क्षमता लगभग तिगुनी हो गई है और वर्तमान में यह 639 करोड़ लीटर है। वर्तमान में अनाज आधारित मद्यशालाओं की क्षमता लगभग

	5.13	**328 करोड़ लीटर है। समिति का मानना है कि इथेनॉल के अधिक उत्पादन से न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी अपितु इससे गन्ना किसान अपनी उत्पादन बढ़ाने और चीनी मिलों को अपनी चलनिधि बनाए रखने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए, समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय गन्ना किसानों की सहायता करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखेगा जिससे इथेनॉल और चीनी का उत्पादन बढ़ेगा ; और अंततः राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति , 2018 के अनुसार 2025 तक मोटर ईंधन में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।**